أعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مُصنّف ابنِ ابی شیبہ

मुसन्नफ इब्न-ए-अबीशैबआ

इमाम अबूहनीफ़ा (رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ) की इज्तिहादी गलतियों से मुताल्लिक़ 487 अहादीस व आसार

كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَة किताब-उल-रद्दि अला अबीहनीफा

(हदीस नंबर 37202 से 37688)

مؤلف

الامام ابی بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبۃ العبسی الکوفی

المتوفی ۲۳۵ھ

संकलनकर्ता

अल इमाम अबीबकर अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबीशैबआ अलअब्सी अलकूफ़ी

अल मुतवफ़्फ़ा 235 हि.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

04 - January - 2015 **Research Paper No. 17** 12- ربیعُ الاول - 1436 هجری

इमाम अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) की इज्तिहादी गलतीयों से मुताल्लिक़ "अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबाह" से 487 अहादीस व आसार

"ये वो मसाइल हैं जिनमें इमाम अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) ने उन आसार की मुख़ालिफ़त की है जो हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) से मन्क़ूल हैं"।

(01) यहूदी मर्द और यहूदीया औरत को संगसार करना

(37202) हज़रत जाबिर बिन समरह (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक यहूदी मर्द और एक यहूदीया औरत को संगसार (करने का हुक्म) फ़रमाया।

(37203) हज़रत बराअ बिन आज़िब (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) से रिवायत है के रसूलुल्लाह (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक यहूदी को संगसार (करने का हुक्म) फ़रमाया।

(37204) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक यहूदी मर्द और एक यहूदीया औरत को संगसार (करने का हुक्म) फ़रमाया।

(37205) हज़रत इबने उमर (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने दो यहूदीयों को संगसार (करने का हुक्म) फ़रामाया और मैंने इन यहूदीयों पर संगबारी की।

(37206) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक यहूदी मर्द और एक यहूदीया औरत को संगसार (करने का हुक्म) फ़रमाया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का ये क़ौल ज़िक्र किया जाता है कि यहूदी मर्द , औरत पर संगसारी का हुक्म नहीं।

(02)-ऊंटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ने का हुक्म और उसका गोश्त खाने पर वुज़ू का हुक्म

(37207) हज़रत बराअ बिन आज़िब (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया। क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ सकता हूं? आप ने इर्शाद फ़रमाया। हां पढ़ सकते हो। इसने दोबारा अर्ज़ किया। क्या मैं बकरियों के गोश्त से वुज़ू करूं? आप ने इर्शाद फ़रमाया: नहीं, इस आदमी ने फिर पूछा: क्या मैं ऊंटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ सकता हूं? आप ने फ़रमाया: नहीं! साइल ने पूछा: क्या मैं ऊंटों के गोश्त से वज़ू करूं? आप ने इर्शाद फ़रमाया: हां करो।

(37208) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मग़फ़ल (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ो, और तुम ऊंटों के बाड़े में नमाज़ ना पढ़ो, क्योकि ऊंटों को शयातीन से पैदा किया गया है।

(37209) हज़रत जाबिर बिन समरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने हमें ऊंट के गोश्त से वुज़ू करने का हुक्म फ़रमाया (यानी ऊंट का गोश्त खाने के बाद) और बकरियों के गोश्त से वुज़ू नहीं करने का हुक्म फ़रमाया और बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ने का हुक्म फ़रमाया। और ऊंटों के बाड़े में नमाज़ नहीं पढ़ने का हुक्म फ़रमाया।

(37210) हज़रत अबू हुरैयरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं कि आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: जब तुम बकरियों और ऊंटों के बाड़े के सिवा कोई जगह ना पाओ तो बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ लो, और ऊंटों के बाड़े में नमाज़ ना पढ़ो।

(37211) हज़रत अब्दुल मलिक के दादा सबरह से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: ऊंटों के बाड़े में नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल यह ज़िक्र किया गया है कि : इसमें कोई हर्ज नहीं है।

(03)-पैदल और घुड़सवार के माले ग़नीमत में हिस्से का बयान

(37212) हज़रत इबने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के बारे में रिवायत करते हैं के आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने दो हिस्से घोड़े के लिए एक हिस्सा आदमी के लिए तक़्सीम (में तै) फ़रमाया।

(37213) हज़रत मक्हूल (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से मन्क़ूल है के नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने घुड़सवार के लिए तीन हिस्से मुत्तय्यन फ़रमाए दो हिस्से इसके घोड़े के और एक हिस्सा आदमी का।

(37214) हज़रत मक्हूल (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मन्क़ूल है के नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने ख़ैबर के दिन दो हिस्से घोड़े के और एक हिस्सा आदमी का मुत्तय्यन फ़रमाया।

(37215) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने घुड़सवार को तीन हिस्से दिए, एक हिस्सा घुड़सवार को और दो हिस्से इसके घोड़े को।

(37216) हज़रत सालह बिन कैसान से रिवायत है के आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने ख़ैबर के रोज़ दो घोड़ों को हिस्सा अता फ़रमाया। हर घोड़े को दो हिस्से दिए

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि घोड़े का एक हिस्सा और एक हिस्सा घोड़े वाले का होगा।

(04)-दुश्मन की ज़मीन की तरफ़ क़ुरआन मजीद को ले जाने का बयान

(37217) हज़रत इबने उमर (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से रिवायत है के आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने दुश्मन की ज़मीन की तरफ़ क़ुरआन मजीद को सफ़र में हमराह ले जाने से मना फ़रमाया। इस डर से के कहीं दुश्मन इसको पा ना ले (और फिर इसकी तौहीन करे)।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इसमें कोई हर्ज नहीं।

(05)-बच्चों को हद्या देने में बराबरी का बयान

(37218) हज़रत मुहम्मद बिन नौमान (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि इन्हें इनके वालिद ने एक ग़ुलाम अतिया में दिया। और नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए ताकि आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को इस अतिया पर गवाह बनाएं तो

आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने पूछा 'क्या तुमने अपने हर लड़के को ऐसा अतिया दिया है?' तो उन्होंने कहा: नहीं! आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: फिर तुम ये अतिया वापस ले लो।

(37219) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) कहते हैं कि मैंने नौमान बिन बशीर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) को कहते सुना कि मेरे वालिद ने मुझे कोई अतिया दिया तो मेरी वालिदह उम्रा बिन्त रवाहा ने कहा: जब तक तुम इस पर नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) को गवाह ना बना लो तब तक मैं (इस पर) राज़ी नही हूंगी। हज़रत नौमान (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) कहते हैं कि वो (मेरे वालिद) नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के पास हाज़िर हुए और अर्ज़ किया के मैंने अपने बेटे को जो उम्रा से है कोई अत्या दिया है और इसने मुझे (इस पर) आपको गवाह बनाने का कहा है। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: क्या तुमने अपने हर बेटे को ऐसा अतिया दिया है? उन्होंने कहा: नहीं! आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: अल्लाह ﷻ से डरो और अपनी औलाद में अदल करो।

(37220) हज़रत नौमान बिन बशीर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) नबी (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) का ये क़ौल रिवायत करते हैं कि मैं ज़ुल्म पर गवाह नहीं बनता।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इसमें कुछ हर्ज नहीं है।

(06)-मुदब्बर ग़ुलाम की बैय का बयान

(37221) हज़रत उम्रो से मन्क़ूल है के उन्होंने हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) को कहते हुए सुना के एक अन्सारी आदमी ने अपने एक ग़ुलाम को मुदब्बर बनाया। इस अन्सारी के पास इस मुदब्बर के सिवा कोई माल नहीं था, तो आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इस मुदब्बर को बेच दिया: जो इबने ज़ुबैर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) की हुकूमत से पहले साल फ़ौत हुआ।

(37222) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने एक मुदब्बर ग़ुलाम को बेचा।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि मुदब्बर ग़ुलाम नहीं बेचा जा सकता।

(07)-क़ब्रों पर नमाज़े जनाज़ह पढ़ने का बयान

(37223) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने तदफ़ीन के बाद क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ह पढ़ा।

(37224) हज़रत ख़ारजा बिन ज़ैद अपने ताया यज़ीद बिन साबित से रिवायत करते हैं के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक औरत की तदफ़ीन के बाद उसका जनाज़ह पढ़ा और आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इस पर चार तकबीरें कहीं।

(37225) हज़रत अमामा बिन सुहैय्ल से रिवायत करते हैं कि इन्होंने फ़रमाया: आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) फ़ुक़राअ-ए-मदीना की अयादत करते थे और जब वो मरते तो इनके जनाज़े में हाज़िर होते थे। रावी कहते हैं: अहले अवामी में से एक औरत ने वफ़ात पाई, रावी कहते हैं: आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) इस औरत की क़ब्र की तरफ़ तशरीफ़ ले गए और आपने चार तकबीरात कहीं।

(37226) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं कि आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तुम्हारा एक भाई वफ़ात पा गया है पस तुम इसका जनाज़ह पढ़ो, इससे नजाशी मुराद है।

(37227) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं कि आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने निजाशी का जनाज़ह पढ़ाया और आपने इसमें चार तकबीरें कहीं।

(37228) हज़रत इब्ने अब्बास ((رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं कि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक मय्यत पर तदफ़ीन हो जाने के बाद जनाज़ह पढ़ा।

(372229) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने अस्हमा पर जनाज़ह पढ़ाया और चार तक्बीरें कहीं।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र है कि एक मय्यत पर दो मर्तबा जनाज़ह नहीं होता।

(08)-(हदी) हरम की तरफ़ क़ुरबानी के लिए भेजे जाने वाले जानवर को ज़ख़्म लगाने का बयान

(37230) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने (हदी को) दाएं जानिब से इश्आर (ज़ख़्म दह) फ़रमाया और अपने दस्ते मुबारक से इस पर ख़ून मला।

(37231) हज़रत मसूर बिन मख़रमा और मरदान रिवायत करते हैं कि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) हुदेबिया के साल अपने एक हज़ार के क़रीब सहाबा (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) के हमराह निकले पस जब आप ज़ुल हलीफ़ा में पहुंचे तो आपने हदी को क़लादह पहनाया और इसको ज़ख़्म ज़दह फ़रमाया और इहराम बांधा।

(37232) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) रिवायत करती हैं के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इश्आर फ़रमाया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ज़ख़्म ज़दह करना ना मुस्ला है।

(09)- सफ़ के पीछे जो शख़्स अकेला नमाज़ पढ़े, इसका बयान

(37233) हज़रत हिलाल बिन यसाफ़ से मन्क़ल है के ज़ियाद बिन अबिल जअद ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रक़ में एक उस्ताद के पास ठहरा दिया जिनको वाब्सा बिन मअबद कहा जाता था, उन्होंने फ़रमाया के एक आदमी ने सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ी तो नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने उसको नमाज़े के अआदह का हुक्म दिया।

(37234) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अली शैय्बान, अपने वालिद अली बिन शैय्बान (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से, जो कि वफ़द का एक हिस्सा थे, से रिवायत करते हैं के हम निकले यहां तक के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। पस हमने आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की बैअत की, और हमने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी, आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक शख़्स को देखा जो सफ़ के पीछे नमाज़ पढ़ रहा था, रावी कहते हैं कि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) इसके पास खड़े हो गए यहां तक के वो नमाज़ से फ़ारिग़ हो गया तो

आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तुम अपनी नमाज़ दोबारह पढ़ो, इसलिए के सफ़ के पीछे खड़े होने वाले की नमाज़ नहीं होती।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इसकी ये नमाज़ जाइज़ है।

(10) हमल की बुनियाद पर लआन करने का बयान

(37235) हज़रत अब्दुल्लाह (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने एक मर्द और उसकी औरत के दर्मियान लआन करवाया और फ़रमाया, उम्मीद है के इस औरत का सियाह रंग बच्चा पैदा हो। पस इस औरत का सियाह रंग बच्चा पैदा हुआ।

(37236) हज़रत इबने अब्बास (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने हमल की बुनियाद पर लआन करवाया।

(37237) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से उस आदमी के बारे में ये फ़त्वा मन्क़ूल है जो अपनी औरत के हमल से बराअत का इज़्हार करे कि ऐसा आदमी औरत से लआन करेगा।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वो हमल (के इंकार की बुनियाद) पर लआन के क़ाइल ना थे।

(11) आज़ादी में क़रआ डालने का बयान

(37238) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं कि एक आदमी के पास छह ग़ुलाम थे, इसने उन्हें अपनी मौत के वक़्त आज़ाद कर दिया तो आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इनमें क़रआ अंदाज़ी की और इनमें से दो को आज़ाद, और चार को ग़ुलाम क़रार दे दिया।

(37239) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने भी नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) से ऐसी रिवायत नक़ल की है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया कि ऐसी आज़ादी का कोई ऐतबार नहीं और वो क़रआ अंदाज़ी के भी क़ाइल नहीं हैं।

(12)-लौंडी जब ज़िना करे तो आक़ा का इसको कोड़े मारने का बयान

(37240) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद, शबल (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) और अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं कि हम नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास हाज़िर थे, के एक आदमी आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास हाज़िर हुआ और उसने आप से मोहसिन ज़ानिया लौंडी के बारे में सवाल किया तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : इसको कोड़े मारो, फिर अगर वो दोबारह गुनाह करे तो फिर कोड़े मारे, रावी कहते हैं कि फिर आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने तीसरी और चौथी मर्तबा फ़रमाया, फिर इसको बेच दो अगरचे एक रस्सी के बदले में हो।

(37241) हज़रत अली (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: अपने गुलामों और बांधियों पर हुदूद क़ाइम करो।

(37242) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया कि जब तुममें से किसी की लौंडी ज़िना करे तो आदमी को (मालिक को) चाहिए के इसको कोड़े लगाए, फिर अगर वो लौंडी दोबारह इस गुनाह का इर्तकाब करे तो इसको बेच डालो अगरचे बालों की एक रस्सी के औज़ ही क्यों ना हो।

(37243) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जब लौंडी ज़िना करे तो इसको कोड़े लगाओ, फिर अगर दोबारह इस गुनाह का इर्तकाब करे तो फिर इसको कोड़े लगाओ, फिर अगर दोबारह इस गुनाह का इर्तकाब करे तो फिर इसको कोड़े लगाओ, फिर अगर इसके बाद भी इस गुनाह का इर्तकाब करे तो इसको कोड़े लगाओ फिर इसको बेच दो अगरचे एक रस्सी के औज़ ही क्यों ना हो।

(37244) हज़रत इबाद बिन तमीम अपने चचा से, जो बदरी थे, रिवायत करते हैं कि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जब लौंडी ज़िना करे तो इसको कोड़े मारो फिर अगर ज़िना करे तो इसको कोड़े मारो फिर अगर ज़िना करे तो इसको कोड़े मारो, फिर इसको बेच दो अगरचे एक रस्सी के औज़ क्यों ना हो।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि लौंडी का मालिक लौंडी को कोड़े नहीं लगाएगा।

(13)-जब पानी दो क़ुल्ले तक पहुंच जाए (तो इसकी तहारत और निजासत का बयान)

(37245) हज़रत अबू सईद ख़दरी (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) रिवायत करते हैं कि किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ)! क्या हम बैर बुज़ाआ से वुज़ू कर सकते हैं, हालांके वो ऐसा कुंवा है के इसमें हैज़ (के कपड़े), कुत्तों का गोश्त और गंदगी डाली जाती है? तो नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: पानी पाक होता है इसको कोई चीज़ नजिस नहीं करती।

(37246) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की अजवाज़ मुतहरात में से किसी ने टब में ग़ुस्ल फ़रमाया, फिर नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) तशरीफ़ लाए, आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) इस पानी से ग़ुस्ल या वुज़ू करना चाहते थे, तो ज़ोजाए मुतहरा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने कहा कि या रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ)! मैं जुन्बी थी, तो आपने इर्शाद फ़रमाया कि पानी जुन्बी नहीं होता।

(37247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: जब पानी दो क़ुल्ला की मिक़्दार को पहुंच जाए तो ये नजिस को मुतहिमल नहीं होता।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया के पानी नजिस हो जाता है।

(14)-मकरुह औक़ात में नींद से बैदार होना वाले शख़्स के नमाज़ पढ़ना का बयान

(37248) हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ)(رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जिस शख़्स को नमाज़ पढ़ना भूल जाए या वो नमाज़ के वक़्त सोया रह जाए तो इसका कुफ़्फ़ारा ये है कि जब इस आदमी को नमाज़ याद आए तो ये नमाज़ पढ़ ले।

(37249) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़रमाते हैं के हम नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के साथ हुदीबिया से आ रहे थे सहाबा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) बयान करते हैं कि वो एक रेत के टीले पर उतरे, इब्ने मसऊद (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) कहते हैं, रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया कि कौन हमारी हिफ़ाज़त करेगा? रावी कहते हैं कि हज़रत बिलाल (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने कहा: मैं करूंगा! तो नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: फिर तो हम सोते हैं रावी

कहते हैं के सब लोग सोए रहे यहां तक के सूरज तुलूअ हो गया, रावी कहते हैं कि चंद लोग बैदार हो गए, जिनमें फ़लां, फ़लां थे और इन्ही में उमर बिन ख़ताब (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) भी थे, कहते हैं के फिर हमने कहा कि बातें करो, रावी कहते हैं कि फिर नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) भी बैदार हो गए और आपने फ़रमाया: तुम जैसे करते थे वैसे ही करो, रावी कहते हैं कि फिर हमने किया (यानी नमाज़ पढ़ी) रावी कहते हैं कि आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: जो कोई नमाज़ भूल जाए या सोया रहे तो वो ऐसे ही करे।

(37250) हज़रत औन बिन अबी हजैय्फ़ा (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इन लोगों को इर्शाद फ़रमाया जो आप के साथ तुलू शम्स तक सोऐ रहे थे, फ़रमाया: तुम लोग मुर्दा थे पस अल्लाह ﷻ ने तुम्हारी तरफ़ अर्वाह को लोटा को दिया है, पस जो कोई नमाज़ के वक़्त सोया रह जाए या नमाज़ को भूल जाए तो जब इसको ये नमाज़ याद आए या ये जब नींद से बैदार हो तो नमाज़ अदा करे।

(37251) हज़रत अबू हुरैयरा (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि हमने एक रात नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के साथ पड़ाव डाला तो हम सूरज की शुआएं पड़ने पर बैदार हुए तो नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: तुम में से हर एक अपने कजावह के सिरे को पकड़ ले फिर इस जगह से हट जाए, फिर आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने पानी मंगवा कर वुज़ू फ़रमाया और दो सजदे अदा किए फिर नमाज़ की इक़ामत कही गई और आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने नमाज़ पढ़ाई।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि जब आदमी तुलूअ आफ़ताब या ग़ुरूब आफ़ताब के वक़्त बैदार हो और (इसी वक़्त) नमाज़ पढ़े तो इसको किफ़ायत नहीं करेगी।

(15)-पगड़ी पर मसाह करने का बयान

(37252) हज़रत बिलाल (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने मोज़ों और पगड़ी पर मसह फ़रमाया।

(37253) ज़ैद बिन सौहान के आज़ाद करदह ग़ुलाम अबी मुस्लिम रिवायत करते हैं कि मैं हज़रत सलमान (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) के साथ था कि उन्होंने एक आदमी को देखा जो वुज़ू करने के

लिए अपने मोज़ों को उतार रहा था, हज़रत सलमान (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने इस आदमी को कहा: तुम अपने मोज़ों पर मसह करो, और अपनी औढ़नी (पगड़ी वग़ैरह) पर मसह करो और अपनी पैशानी पर मसह करो, क्योकि मैंने रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को मोज़ों और औढ़नी (पगड़ी) पर मसह करते देखा है।

(37254) हज़रत इब्ने मुग़ैयरह बिन शअबा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) अपने वालिद से रिवायत करते हैं के नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने अपने सर के अगले हिस्से पर और मोज़ों पर मसह फ़रमाया, और आपने अपना हाथ अमामा पर रखा और अमामा पर मसह किया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि पैशानी और अमामा पर मसह दुरुस्त नहीं है।

(16)-ग़लती से पांचवीं रक्अत की ज़्यादती का बयान

(37255) हज़रत अब्दुल्लाह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने एक नमाज़ पढ़ाई और इसमें आपने कमी या ज़्यादती कर दी, पस जब आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने सलाम फैर कर क़ौम की तरफ़ अपना रुख़े मुबारक किया तो लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ), नमाज़ में कोई नई चीज़ दरपैश हुई है? आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: क्या हुआ? लोगों ने कहा, आपने इस तरह (कमी या ज़्यादती के साथ) नमाज़ पढ़ाई है। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने अपने पाऊं मोड़े और दो सजदे फ़रमाए, फिर आपने सलाम फैर कर क़ौम की तरफ़ रुख़े मुबारक किया और फ़रमाया। अगर नमाज़ में कुछ नई चीज़ वाक़्य होती तो मैं तुम्हें इसकी ख़बर देता, लेकिन मैं एक बन्दा हूं, तुम्हारी तरह मैं भी भूल जाता हूं, पस जब मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिलाओ, और जब तुम में से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो तो उसे दुरुस्त बात की तरफ़ तहरी करनी चाहिए। फिर इस तहरी पर नमाज़ को मुकम्मल करे। पस जब सलाम फैर दे तो दो सजदे करे।

(37256) हज़रत अब्दुल्लाह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने एक मर्तबा ज़ुहर की पांच रक्अत पढ़ा दीं, आप से अर्ज़ कि गया के आपने पांच रक्आत पढ़ी हैं? तो आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने सलाम के बाद दो सजदे किये।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि अगर चौथी रक्अत में क़अदह में ना बेठे तो नमाज़ का अआदह करेगा। (यानी नमाज़ को दोहराएगा)

(17)-जो मुहिरम बोजा उज़्र के पाएजामा पहने और इस पर दम के वुजूब का बयान

(37257) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) कहते हैं कि मैंने नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) को कहते हुए सुना है कि जब मुहरिम लुन्गी ना पाए तो वो पाएजामा पहन ले और जब मुहरिम को जुते ना मिलें तो वो मोज़े पहन ले।

(37258) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जिसको जूते ना मिलें तो वो मोज़े पहन ले और जिसको लुन्गी ना मिले वो पाएजामा पहन ले।

(37259) हज़रत इब्ने उम्र (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) मुहरिम क्या पहने? या पूछा: मुहरिम किया छोड़े? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: मुहरिम क़मीस, पाएजामा, अमामा और मोज़े नहीं पहनेगा। हां अगर जूते ना मिलें, तो जिसको जूते ना मिलें वो टख़नों से नीचे (काट) मोज़े पहन ले।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ऐसा नहीं करेगा। अगर ऐसा किया तो मुहरिम पर दम लाज़िम होगा।

(18)-सफ़र में दो नमाज़ों को जमा करने का बयान

(37260) हज़रत जाबिर बिन ज़ैद , इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा: मैंने नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के साथ आठ (रक्आत) इकठ्ठी और सात (रक्आत) इकठ्ठी पढ़ी हैं। रावी कहते हैं: मैंने कहा! ऐ अबुल शअशाअ! मेरे ख़्याल में उन्होंने ज़ुहर को मुअख़्ख़िर और अस्र को मुक़्दम करके पढ़ा (तो आठ रक्अत इकठ्ठी हो गईं) और मग़रिब को मुअख़्ख़िर और इशा को जल्दी करके पढ़ा (तो सात रक्आत इकठ्ठी हो गईं) तो उन्होंने फ़रमाया: मेरा भी यही ख़्याल है।

(37261) हज़रत सालिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं के जब आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने सफ़र करना होता तो आप मग़रिब और इशा को जमा फ़रमा लेते।

(37262) हज़रत मुआज़ बिन जबल (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने ग़ज़्वह तबूक के सफ़र मे ज़ुहर और अस्र, मग़रिब और इशा को जमा फ़रमाया।

(37263) हज़रत जाबिर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने ग़ज़्वह तबूक में ज़ुहर और अस्र ; मग़रिब और इशा को जमा फ़रमाया।

(37264) हज़रत हफ़्स बिन उबैय्दुल्लाह बिन अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि हम हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) के साथ मक्का की तरफ़ सफ़र करते । पस जब सूरज ज़ाइल हो जाता और हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) किसी मंज़िल में ठहरे होते तो आप ज़ुहर की नमाज़ अदा करने से पहले सवार ना होते, और जब आप शाम को सवार होते और अस्र का वक़्त मौजूद होता तो आप अस्र पढ़ लेते, लेकिन अगर आप अपनी मंज़िल से ज़वाले शम्स से पहले रवाना हो चुके होते और नमाज़ का वक़्त आ जाता और हम कहते, नमाज़? तो आप (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़रमाते: चलते रहो, यहां तक के जब दो नमाज़ों का दर्मियान हो जाता तो आप (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) सवारी से उतरते और ज़ुहर, अस्र को जमा फ़रमाते फिर फरमाते कि मैंने नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को देखा के जब आप सुबह से शाम तक मुसल्सल सफ़र करते तो यूंही करते।

(37265) हज़रत उम्रो बिन शुऐब के दादा से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने ग़ज़्वह बनी उल मस्तलक़ में दो नमाज़ों को जमा फ़रमाया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ऐसा करने वाले को ये अमल काफ़ी नहीं है।

(19)-वक़्फ़ का बयान

(37266) हज़रत इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के हज़रत उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को ख़ैय्बर में एक ज़मीन मिली तो वो नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) से इस ज़मीन की बाबत सवाल किया, और कहा के मुझे ख़ैय्बर में ऐसी ज़मीन मिली कि मेरे ख़याल में इससे ज़्यादा बहतरीन माल मुझे कभी नहीं मिला। आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: अगर तू चाहे तो इसके

ऐन को रोक ले और इसको (यानी इसके नफ़अ को) सदक़ा कर दे। रावी कहते हैं कि हज़रत उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने इसको सदक़ा कर दिया। लेकिन ये फ़र्क़ बाक़ी था कि इसके ऐन को ना बेचा गया और ना हदया हुआ। और ना ही इसमें विरासत चली, पस हज़रत उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने इस (के नफ़अ) को फ़क़ाअ, क़राबत दारों, ग़ुलामों की आज़ादी, फ़ी सबीलिल्लाह, मुसाफ़िरों और महमानों पर सदक़ा कर दिया, जो आदमी का वक़्फ़ का वली हो तो इसको वक़्फ़ में से ख़ुद बक़द्र ज़रूरत खाना या अपने ग़ैर मतमूल दोस्त को खिलाने में कुछ हर्ज नहीं है।

(37267) हज़रत इब्ने ताऊस अपने वालिद से रिवायत करते हैं के हुज्र मद्री ने मुझे ख़बर दी के नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के सदक़ा (की ज़मीन) आपके घर वाले बक़द्र ज़रूरत बेहतर तरीक़ा के साथ खाते थे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वरसा को वक़्फ़ वापस लेने का हक़ होता है।

(20)-जाहिलियत की नज़र का बयान

(37268) हज़रत उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) कहते हैं कि मैंने जाहिलियत में एक नज़र मानी थी तो मैंने आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) से इस्लाम लाने के बाद (इसके बारे में) पूछा तो आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने मुझे ये हुक्म इर्शाद फ़रमाया, के मैं अपनी नज़र को पूरा करूं।

(37269) हज़रत ताऊस (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से इस आदमी के बारे में जो जाहिलियत में नज़र के बाद इस्लाम लाया है ये हुक्म मन्क़ूल है के ये आदमी अपनी नज़र पूरी करेगा।

और (अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि जब इस्लाम लाया तो क़सम साक़त हो गई।

(21)-बग़ैर वली के निकाह करने का बयान

(37270) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) फ़रमाती हैं के रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जिस किसी औरत का निकाह कोई एक वली और कई वली ना करवाएं तो इस औरत का निकाह बिल्कुल बातिल है, ये बात आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने बारहा इर्शाद फ़रमाई, फिर अगर मियां बीवी में मुलाक़ात हो जाए तो मुलाक़ात की वजह से औरत

को मेहर मिलेगा, पस अगर लोग झगड़ा करें तो जिसका वली ना हो इसका बादशाह वली होगा।

(37271) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़रमाते हैं के रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: वली के बग़ैर निकाह नहीं होता।

(37272) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) अपने वालिद से रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: वली के बग़ैर निकाह नहीं होता।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि अगर शौहर कफ़ू (हम पल्ला) हो तो निकाह जाइज़ है।

(22)-मय्यत की तरफ़ से नमाज़ अदा करने का बयान

(37273) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि सअद बिन इबादह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) से इस नज़र के बारे में सवाल किया जो इनकी वालिदह पर लाज़िम थी और वो इसको पूरा करने से पहले ही वफ़ात पा गई थीं, तो आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: इस नज़र को तुम इनकी तरफ़ से पूरा करो।

(37274) हज़रत इब्ने बरीदह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ), अपने वालिद से रिवायत करते हैं के मैं आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमते अक़्दस में बैठा हुआ था के एक औरत हाज़िर हुई और उसने कहा। मेरी वालिदह पर दो माह के रोज़े (लाज़िम) थे। क्या में इनकी तरफ़ से ये रोज़े रख सकती हूं? आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तुम इनकी तरफ़ से रोज़े रखो। तो बताओ अगर तुम्हारी वालिदह पर क़र्ज़ होता और तुम उसको अदा करतीं तो क्या ये काफ़ी हो जाता? उन्होंने अर्ज़ किया: क्यों नहीं। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: पस फिर तुम इनकी तरफ़ से रोज़े रखो।

(37275) हज़रत सनान बिन अब्दुल्लाह जहनी (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) बयान करते हैं कि इन्हें इनकी फूफी ने बयान किया कि वो नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के पास हाज़िर हुईं और उन्होंने कहा: या रसूलुल्लाह! मेरी वालिदह इस हाल में वफ़ात पा गई हैं कि इन पर मक्का की तरफ़ पैदल आने की नज़र लाज़िम थी। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: क्या तुम इसकी तरफ़ से मक्का की तरफ़ पैदल आ सकती हो? उन्होंने कहा: जी हां! आप

(صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: फिर तुम इनकी तरफ़ से चल कर मक्का आओ। साइला ने पूछा: क्या ये इनकी तरफ़ से किफ़ायत कर जाएगा, आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: हां! और फ़रमाया: तुम बताओ के अगर तुम्हारी वालिदह पर क़र्ज़ होता और तुम इसको अदा करतीं तो क्या तुम्हारी वालिदह की तरफ़ से क़बूल कर लिया जाता? उन्होंने अर्ज़ किया। जी हां! आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: अल्लाह ﷻ ज़्यादा हक़दार है।(के इसका हक़ अदा किया जाए)।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ये चीज़ मय्यत को किफ़ायत नहीं करेगी।

(23)-ज़ानी और ज़ानिया को जला वतन करने का बयान

(37276) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ), ज़ैद बिन ख़ालिद (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) और शब्ल (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि यो लोग नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर थे। एक आदमी खड़ा हुआ और अर्ज़ किया: मैं आपको ख़ुदा की क़सम देता हूं के आप हमारे दर्मियान अल्लाह ﷻ की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमाएं। (इतने में) इस आदमी के ख़सम ने कहा: और वो पहले से ज़्यादा समझदार लग रहा था। आप हमारे दर्मियान अल्लाह ﷻ की किताब के ज़रिए फ़ैसला फ़रमा दें। और मुझे बोलने की इजाज़त इनायत फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: बोल! इस आदमी ने कहा: मेरा एक बेटा इसके हां मुलाज़िम था। और उसने इसकी बीवी के साथ ज़िना कर लिया। तो मैंने इसके फ़दया में सौ बकरियां और एक ख़ादिम दिया। फिर मैं अहले इल्म लोगों से पूछा तो मुझे बताया गयी के मेरे बेटे पर सौ कोड़ों की सज़ा और एक साल की जला वतनी है और इसकी बीवी पर संगसारी का हुक्म है। नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: "उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है। मैं ज़रूर बिल्ज़रूर तुम्हारे दर्मियान अल्लाह ﷻ की किताब के ज़रिए फ़ैसला करूंगा। सौ बकरियां और ख़ादिम तुम्हें वापस मिलेंगे और तेरे बेटे पर सौ कोड़ों और एक साल की जला वतनी की सज़ा है। और (फ़रमाया) ऐ अनीस! तुम इसकी बीवी के पास जाओ, पस अगर वो इक़रार कर ले तो तुम इसको संगसार कर दो।

(37277) हज़रत इबादह बिन सामत (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) रिवायत करते हैं कि नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: मुझसे (ये हुक्म) ले लो तहक़ीक़ अल्लाह ﷻ ने औरतों के लिए रास्ता बनाया है। बे निकाह औरत, बेनिकाह मर्द से साथ ज़िना करे और शादी शुदह मर्द, शादी शुदह औरत के साथ ज़िना करे तो बाकरह (बेनिकाहों) को कोड़े और जला वतनी की सज़ा, और शादी शुदह को कोड़े और संगसारी की सज़ा दी जाएगी।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि जला वतन नहीं किया जाएगा।

(24)-बच्चे के पेशाब का बयान

(37278) हज़रत महसिन की बेटी अम क़ैस बयान करती हैं। मैं अपना एक बेटा जो खाना नहीं खाता था लेकर आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई तो बच्चे ने आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) पर पेशाब कर दिया। पस आपने पानी मंगवाया और पेशाब पर छिड़क दिया।

(37279) हज़रत लबाबा बिन्त अल-हारिस बयान करती हैं कि हुसैन बिन अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) पर पेशाब कर दिया तो मैंने अर्ज़ किया। ये कपड़े मुझे दे दें (ताकि धो दूं) आप कोई और पहन लें। आपने फ़रमाया: बच्चे (लड़के) के पेशाब पर छींटें मारी जाती हैं और बच्ची (लड़की) के पेशाब को धोया जाता है।

(37280) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमते अक़्दस में एक बच्चा लाया गया। इसने आप पर पेशाब कर दिया। पस आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इस पर पानी गिरा दिया और इसको धोया नहीं।

(37281) हज़रत अबू लैला से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के पास बैठे हुए थे के हज़रत हुसैन बिन अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) सरकते हुए आए यहां तक के आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के सीना-ए- अत्हर पर बैठ गए और आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) पर पेशाब कर दिया। रावी कहते हैं हमने जल्दी से आगे बढ़ कर हज़रत हुसैन (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को

पकड़ना चाहा तो आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: मेरा बेटा! मेरा बेटा! फिर आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने पानी मंगवाया और इस पर बहा दिया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इसे धोया जाएगा।

(25)-लआन के बाद मलाअन का निकाह करने का बयान

(37281) हज़रत ज़हरी (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से मन्क़ूल है कि उन्होंने सहल बिन सअद को कहते सुना के वो नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के ज़माने में लआन करने वाले मियां बीवी के वाक़्या पर हाज़िर थे जिनके दर्मियान (बाद में) जुदाई करदी गई थी। शौहर ने कहा: या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) अगर मैं अपनी बीवी को अपने पास ठहराए रखूं तो (गोया) मैंने इस पर झूठ बोला है।

(37283) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) फ़रमाते हैं कि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इन दोनों के दर्मियान तफ़रीक़ कर दी थी।

(37284) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने अन्सार के एक आदमी और उसकी बीवी के दर्मियान लआन करवाया फिर आपने उन दोनों के दर्मियान तफ़रीक़ कर दी।

(37285) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है के आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने लआन करने वाले मियां बीवी के दर्मियान तफ़रीक़ कर दी थी।

(37286) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने दो लआन करने वालों में जुदाई कर दी तो शौहर ने कहा: या रसूलुल्लाह! मेरा माल? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तेरा माल नहीं है। (इस लिए के) अगर तू सच्चा है तो फिर तूने इसकी फ़र्ज को किसके औज़ हलाल समझ रखा था? (ज़ाहिर है के माल ही औज़ हलत पैदा हुई थी) और अगर तू झूठा है तो फिर तू बतरीक़े ऊला तुझे माल नहीं मिलेगा।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि जब शौहर अपनी तक्ज़ीब कर दे तो औरत से शादी कर सकता है।

(26)-बैठे हुए आदमी की इमामत करवाने का बयान

(25287) हज़रत ज़हरी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मन्क़ूल है के मैंने अनस मालिक (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) को कहते हुए सुना के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) घोड़े से गिर पड़े और आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की दाईं जानिब में रगड़ आ गई। हम आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की अयादत के लिए आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास हाज़िर हुए इस दौरान नमाज़ का वक़्त आ गया, आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने हमें बैठ कर नमाज़ पढ़ाई और हमने आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की इक़्तदा में बैठ कर नमाज़ पढ़ी। पस जब नमाज़ पूरी हो गई तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया। इमाम इसलिए मुतय्यन किया जाता है ताकि इसकी इक़्तदा की जाए। पस जब इमाम तक्बीर कहे तो तुम तक्बीर कहो। और जब रूकूअ करे तो तुम रुकूअ करो। और जब इमाम सज्दा करे तो तुम सज्दा करो। और जब इमाम सर उठाए तो तुम सर उठाओ। और जब इमाम समीअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहो। और अगर इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम सब बैठ कर नमाज़ पढ़ो।

(37288) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) फ़रमाती हैं कि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) को कोई बीमारी लाहक़ हो गई तो सहाबाए कराम (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) में से कुछ लोग आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की इयादत करने के लिए हाज़िर हुए। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने बैठ कर नमाज़ पढ़ी जबकि इन लोगों ने आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की इक़्तिदा में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इन्हें बैठने का इशारह फ़रमाया। पस वो लोग बैठ गए। फिर जब आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) नमाज़ से फ़ारिग़ हो गए तो इर्शाद फ़रमाया। इमाम इसी लिए बनाया जाता है कि इसकी इक़्तिदा की जाए। पस जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो। और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ। और जब वो बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो।

(37289) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) अपने घोड़े से गिर पड़े और खजूर के तने पर गिरे और आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के क़दमे मुबारक सूज गए। रावी कहते हैं: हम आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की इयादत के लिए आप

(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के हां हाज़िर हुए तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) के मुशरिबा में बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे थे। हमने आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की इक़्तदा में नमाज़ पढ़ी दरांहाल ये के हम खड़े थे फिर हम दूसरी मर्तबा आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे थे। हमने आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की इक़्तिदा में खड़े होकर नमाज़ पढ़ना शुरू की तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने हमें बैठने का इशारह फ़रमाया। पस जब आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) नमाज़ पढ़ चुके तो इर्शाद फ़रमाया: इमाम इसी लिए बनाया जाता है के इसकी इक़्तिदा की जाए, सो जब वो खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो और जब वो बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो। इमाम बैठा हो तो तुम खड़े ना हो जैसा के अहले फ़ारिस अपने बड़ो के साथ करते हैं।

(37290) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) बयान फ़रमाते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: इमाम इसी लिए बनाया जाता है कि इसकी इक़्तिदाअ की जाए, पस जब वो तक्बीर कहे तो तुम तक्बीर कहो और जब इमाम क़िराअत करे तो तुम ख़ामोश रहो, और जब इमाम (ग़ैयरिल मग़्दूबि अलैय्हिम वलद्दुआल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो। और जब इमाम रूकूअ करे तो तुम रूकूअ करो और जब इमाम समिअल्लाहुलिमन हमिदह कहे तो तुम कहो - अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द और जब इमाम सज्दह करे तो तुम सज्दह करो। और जब इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम बैठ कर नमाज़ पढ़ो।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इमाम बैठा हो तो इसकी इक़्तिदा (में बैठना) दुरुस्त नहीं।

(27)-रज़ाअत के गवाहों का बयान

(37291) हज़रत अक़्बा बिन हारिस (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से बयान करते हैं के मैंने अबू अहाब तमीमी की बेटी से शादी की, पस जब इसकी रवानगी की सुबह थी तो अहले मक्का की एक आज़ाद करदह लोन्डी आई तो इसने कहा। मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया था। और फिर हज़रत अक़्बा (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) सवार हो कर आंहज़रत (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में मदीना हाज़िर

हुए और आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के सामने इसका तज़्किरह किया और (ये भी) कहा के मैंने लड़की वालों से पूछा है तो इन्होंने इन्कार किया है। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया। जब कह दिया गया है तो इन्कार कैसा? पस आप (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने इनसे जुदाई करली और उन्होंने किसी और से निकाह कर लिया।

(37292) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) से सवाल किया गया कि रज़ाअत में कितने गवाहों की गवाही जाइज़ होती है? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: एक आदमी या एक औरत।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ज़्यादह की गवाही जाइज़ है कम की नहीं।

(28)-बीवी के इस्लाम लाने के बाद शौहर के इस्लाम लाने पर तज्दीद निकाह का बयान

(37293) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا) को अबूल आस (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) के पास दो साल बाद पहले निकाह के साथ ही वापस फ़रमाया था।

(37294) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने ज़ैय्नब (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا) को अबूल आस (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) पर पहले निकाह के साथ वापस भेजा था।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि निकाह की तज्दीद की जाएगी।

(29)-अर्काने हज में से बाज़ से मौअख़्ख़िर हो जाना दम को वाजिब करता है?

(37295) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) फ़रमाते हैं के नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में एक आदमी हाज़िर हुआ और इसने कहा, मैंने ज़िबह करने से पहले हलक़ कर लिया है? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया। ज़िबह कर लो। कोई बात नहीं। साइल ने कहा। मैंने रमी करने से पहले ज़िबह कर लिया है? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया। रमी कर लो। कोई बात नहीं।

(37296) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि एक साईल ने नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) से सवाल किया। मैंने शाम हो जाने के बाद रमी की है? आप

(صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: कोई बात नहीं। रावी कहते हैं के साईल ने कहा। मैंने नहर करने से पहले हलक़ कर लिया है? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: कोई बात नहीं।

(37297) हज़रत अली (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के पास एक आदमी आया और उसने अर्ज़ किया: मैं हलक़ से पहले वासप पलट गया था? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: हलक़ करलो या क़सर कर लो, कोई बात नहीं।

(37298) हज़रत उसामा बिन शरीक (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) से एक आदमी ने सवाल किया: मैंने ज़िबह करने से पहले हलक़ कर लिया? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: कोई हर्ज नहीं।

(37299) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) कहते हैं कि एक आदमी ने कहा: या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) मैंने नहर करने से पहले हलक़ कर लिया है? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: कोई बात नहीं।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है: इस पर दम वाजिब है।

(30)-शराब को सिरका बनाने का बयान

(37300) हज़रत अनस बिन मालिक (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि कुछ यतीम बच्चों को विरासत में शराब मिली तो हज़रत अबू तल्हा (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) से इसको सिरका बनाने के बारे में पूछा: आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: नहीं।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है: इस में कोई हर्ज नहीं है।

(31)-महारम से निकाह करने वाले को क़त्ल करने का बयान

(37301) हज़रत बराअ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने उन्हें उस आदमी की तरफ़ भेजा जिसने अपने वालिद की बीवी से निकाह किया था और हुक्म दिया के उसका सिर आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में लेकर हाज़िर हो।

(37302) हज़रत बराअ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि मैं अपने मामूं से मिला और इनके पास झन्डा था। मैंने पूछा: कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा। मुझे रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने

उस आदमी की तरफ़ भेजा है जिसने अपने बाप की बीवी से शादी की है ताकि मैं उसे क़त्ल कर दूं या (फ़रमाया) मैं इसकी गर्दन मार दूं।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इस आदमी पर सिर्फ़ हद लागू होगी।

(32)-जनैय्न जनीनि (جنين) की ज़कात का बयान

(37303) हज़रत अबू सईद (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: मां को ज़िबह करना ही जनीनि को ज़िबह करना है जबकि इसके बाल बिल्कुल आए हों।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि जनीनि की मां को ज़िबह करना, जनीनि को ज़िबह करना नहीं होगा।

(33)-घोड़े का गोश्त खाने का बयान

(37304) हज़रत अस्मा बिन्त अबी बक्र (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत करती हैं कि हमने रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के ज़मानाए मुबारक में घोड़े को नहर (ज़िबह) किया और हमने इसका गोश्त खा लिया। या (फ़रमाया) हमें इसका गोश्त मिला।

(37305) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने हमें घोड़ों का गोश्त खिलया (यानी खाने का कहा) और हमें गधों के गोश्त से मना फ़रमा दिया।

(37306) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है के हमने खैबर के दिन घोड़ों का गोश्त खाया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि घोड़ों का गोश्त नहीं खाया जाएगा।

(34)-गिरवी चीज़ से नफ़ा हासिल करने का बयान

(37307) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: मरहोना सवारी पर सवार हुआ जा सकता है। थनों (वाले जानवर) का दूध

पिया जा सकता है जब ये मरहोन हो (तब भी) और जो आदमी सवार होगा या दूध पियेगा उस पर इस (जानवर) का ख़र्चा होगा।

(37308) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि मरहोना जानवर को दोहा जा सकता है और इस पर सवारी की जा सकती है।

(37309) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि गिरवी वाले जानवर पर सवारी करना और इसका दूध दोहना दुरुस्त है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि मरहोना चीज़ से नफ़ा उठाना, सवारी करना दुरुस्त नहीं है।

(35)-मज्लिस के इख़्तियार का बयान

(37310) हज़रत हज़रत इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: बाए, मशतरी को अपनी बैअ में इख़्तियार होता है जब तक के वो जुदा ना हो जाएं इल्ला ये कि इनकी बैअ में कोई (इज़ाफ़ी) इख़्तियार हो।

(37311) हज़रत हकीम बिन हज़ाम (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: बाए, मश्तरी को बाहम जुदा होने तक इख़्तियार (फ़सख़) होता है।

(37312) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) का इर्शाद है के बाए, मशतरी को अपनी बैअ में तब तक इख़्तियार है जब तक बाहम जुदा ना हो जाएं। या इनकी बैअ में कोई (इज़ाफ़ी) इख़्तियार हो।

(37313) हज़रत अबू बर्ज़ह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) का इर्शाद है कि बाए मश्तरी को बाहम जुदा होने तक इख़्तियार (फ़सख़) होता है।

(37314) हज़रत समरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया के बाए, मश्तरी को बाहमी जदाल तक इख़्तियार होता है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि बैअ जाइज़ (नाफ़िज़) हो जाती है अगरचे बाहमी जुदाई ना हुई हो।

(36)-गुफ़्तगू के बाद सजदा-ए-सहव का बयान

(37315) हज़रत अब्दुल्लाह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने गुफ़्तगू के बाद सहव के लिए दो सजदे किये।

(37316) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने कलाम किया फिर आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने सहव के लिए दो सजदे फ़रमाए।

(37317) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने तीन रक्आत पढ़ीं फिर आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) मुड़ गए। तो एक आदमी आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की तरफ़ खड़ा हुआ जिसको ख़िर बाक़ कहा जाता था। इसने अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ)! क्या नमाज़ थोड़ी हो गई है? आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने पूछा: क्या हुआ? इसने अर्ज़ किया। आपने तीन रक्आत पढ़ी हैं पस आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक रक्अत (और) पढ़ी फिर सलाम फैरा और सजदा-ए-सहव किया फिर सलाम फैरा।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि जब नमाज़ी गुफ़्तगू करले तो फिर सजदा-ए-सहव नहीं करेगा (बल्के तज्दीद नमाज़ करेगा)।

(37)-हक़ महर की कम अज़ कम मिक़ादार दस दिर्हम है

(37318) हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर रबीआ अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के ज़मानाए मुबारक में दो जूतियों को महर बना कर निकाह तो नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इसके निकाह को जाइज़ क़रार दिया।

(37319) हज़रत सहल बिन सअद (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक आदमी से कहा। जाओ उस औरत से तुम्हारा निकाह कर दिया है और तुम इसको कुरआन की एक सूरह सिखा दो।

(37320) हज़रत इब्ने अबी लबैय्या (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया जो शख़्स एक दिर्हम के औज़ (औरत में) हिल्लत को तलब करता है तो तहक़ीक़ साबित हो जाती है।

(37321) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन बैलमानी (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) बयान करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने ख़ुत्बा इर्शाद फ़रमाया:

﴿أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾

एक आदमी खड़ा हुआ और इसने अर्ज़ किया: या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ)! इनके दर्मियान बन्धन (का औज़) क्या है?

(37322) हज़रत अनस (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने एक गुठली के वज़न के बक़दर सोने के औज़ निकाह किया था। जिसकी क़ीमत तीन दिर्हम और तिहाई दिर्हम थी।

(37323) हज़रत हसन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मन्क़ूल है कि जिस मिक़दार पर मियां बीवी राज़ी हो जाएं वही महर होगा।

(37324) हज़रत इब्ने औन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) कहते हैं कि मैंने हज़रत हसन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से इस मिक़्दार (महर) का सवाल किया जिस पर आदमी शादी कर सकता है? इन्होंने फ़रमाया: गुठली के वज़न का बक़दर सोना।

(37325) हज़रत सईद बिन अल मसैय्ब (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मन्क़ूल है कि अगर औरत एक लाठी (हक़) महर पर राज़ी हो जाए तो यही महर हो जाएगा।

(37326) हज़रत इब्ने अल बैलमानी (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया।

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

रावी कहते हैं: लोगों ने अर्ज़ किया के रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ)! इनके माबैय्न बन्धन (का औज़) क्या है? आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: जिस शैए पर इनके घर वाले राज़ी हो जाएं।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि आदमी, औरत के साथ दस दिर्हम से कम मिक़दार पर शादी नहीं कर सकता।

(38)-क्या आज़ादी महर बन सकता है?

(37327) हज़रत अनस बिन मालिक (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने हज़रत सफ़िया (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) को आज़ाद किया और फिर इनसे शादी कर ली। रावी कहते हैं कि आपसे पूछा गया कि आपने इनको क्या महर दिया था? उन्होंने जवाब दिया के इन्हें इनकी जान महर में दी थी, यानी इनकी आज़ादी को हक़ महर बना लिया गया था।

(37328) हज़रत अली (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) कहते हैं कि अगर आदमी चाहे तो अपनी उम्म वलद को आज़ाद कर दे और उसकी आज़ादी को इसका महर शुमार कर ले।

(37329) हज़रत सद बिन अल मसैय्नब (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़रमाते हैं कि जो आदमी अपनी लोन्डी या उम्म वलद को आज़ाद कर दे और इसी आज़ादी को इसके लिए महर बना दे तो मैं ये काम इसके लिए आज़ाद समझता हूं।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ये निकाह (आज़ाद करदह लोन्डी का) भी महर के साथ जाइज़ होगा।

(39)-फ़ज्र की नमाज़ में इमाम के पीछे नफ़िलों की नियत से इक़्तदा करने का बयान

(37330) हज़रत जाबिर बिन अस्वद (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) अपने वालिद से रिवायत बयान करते हैं के मैं नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के साथ आपके हज में शरीक हुआ। फ़रमाते हैं कि मैंने आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के साथ सुबह की नमाज़ मसजिद ख़ैय्फ़ में पढ़ी। जब आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) अपनी नमाज़ पढ़ चुके और आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने रुख़े मुबारक मोड़ा तो लोगों के अख़िर में दो लोग बैठे थे जिन्होंने आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: इन्हें मेरे पास लाओ। पस उन दोनों को आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में लाया गया इस हाल में के इन पर कपकपी तारी थी। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया। तुम लोगों को हमारे साथ नमाज़ अदा करने से किस चीज़ ने रोके रखा? उन्होंने अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ)! हमने अपने कजादों में नमाज़ पढ़ ली थी। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ)

ने फ़रमाया: आइंदा ऐसा मत करो। जब तुम अपने कजादों में नमाज़ पढ़ लो फिर मसजिद की तरफ़ आओ। तो तुम लोगों के साथ (जमाअत में) नमाज़ पढ़ो। क्योकि ये तुम्हारे लिए नफ़िल हो जाएगी।

(37331) हज़रत बिशरया बिन महजन अपने वालिद से ऐसी ही मज़्कूरह बाला रिवायत नक़ल करते हैं।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि फ़ज्र की नमाज़ का (इमाम के साथ) ईआदह नहीं किया जाएगा।

(40)-दूसरी मर्तबा जमाअत का बयान

(37332) हज़रत अबू सईद (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि एक आदमी (मसजिद में) हाज़िर हुआ । आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) नमाज़ पढ़ चुके थे । रावी कहते हैं कि आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया कि तुम में से कौन इस (की नमाज़) पर तिजारत करेगा? रावी कहते हैं कि पस एक आदमी खड़ा हुआ और इसने आने वाले शख़्स के हमराह नमाज़ पढ़ी।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इस सूरत में (दोबारह) जमाअत ना करवाओ।

(41)-आज़ाद को गुलाम के बदलें में क़त्ल करने का बयान

(37333) हज़रत हसन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) से रिवायत करते हैं कि आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: जो कोई अपने गुलाम को क़त्ल करेगा, हम उसको क़त्ल करेंगे और जो कोई अपने गुलाम का नाक काटेगा हम उसका नाक काटेंगे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि आज़ाद को गुलाम के बदले में क़त्ल नहीं किया जाएगा।

(42)-दौराने नमाज़ तुलूअ आफ़्ताब हो जाने का बयान

(37334) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) से रिवायत करते हैं कि आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जो शख़्स गुरूबे आफ़्ताब से पहले अस्र

की एक रक्अत पाले तो तहक़ीक़ इसने पूरी नमाज़ पाली। और जो शख़्स तुलूए आफ़्ताब से पहले फ़ज्र की एक रक्अत पाले तो तहक़ीक़ इसने पूरी नमाज़ पाली।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि जब आदमी फ़ज्र की एक रक्अत पढ़ चुके और सूरज तुलूअ हो जाए तो इस आदमी को ये फ़ज्र किफ़ायत नहीं करेगी।

(43)-रोज़े के कुफ़्फ़ारा का बयान

(37335) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत करते हैं कि एक आदमी आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया। मैं तो हलाक हो गया हूं। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने पूछा: तुम्हें किस चीज़ ने हलाक कर दिया है? इस आदमी ने कहा। मैंने माहे रमज़ान में (रोज़ा की हालत में) अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली है। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: एक गुलाम को (बतौरे कुफ़्फ़ारा) आज़ाद कर दो। इस आदमी ने अर्ज़ किया: मेरे पास तो गुलाम नहीं है, आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तुम दो महीने के रोज़े रखो। इस आदमी ने किया। मुझे इसकी इस्ताअत नहीं है। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: साठ मिस्कीनों को खाना खिला दो। इस आदमी ने अर्ज़ किया। मुझसे ये भी नहीं हो सकता। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: बैठ जाओ। पस वो आदमी बैठ गया। वो आदमी बैठा ही था के आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास एक थाल लाया गया इसमें खज़ूरें थीं। तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इस बैठे हुए आदमी से फ़रमाया। ये ले जाओ और इस को सदक़ा कर दो। इस आदमी ने अर्ज़ किया। क़सम उस ज़ात की जिसने आप को हक़ के साथ मब्ऊस फ़रमाया: मदीना की धरती पर हमसे ज़्यादह फ़क़ीर और मुहताज कोई घराना नहीं है। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) (ये सुनकर) हंस दिये यहां तक के आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के अतराफ़ वाले दांत ज़ाहिर हो गए फिर आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया। जाओ चले जाओ। और ये अपने अहल ख़ाने को खिला दो।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि अपने अयाल को ये (सदक़ा) खिलाना जाइज़ नहीं है।

(44)-दूसरे दिन ईद की नमाज़ पढ़ने का बयान

(37336) हज़रत ऊमैर बिन अनस बयान करते हैं कि मुझे मेरे अन्सारी चचाओं ने जो आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के सहाबा (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) में से थे। बयान किया के हम पर शव्वाल का चांद (बादल वग़ैरह की वजा से) छुपा रह गया और हमने सुबह को रोज़ा रख लिया। आख़िर दिन को सवारों की एक जमाअत आई और इसने नबी-ए-पाक (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर गवाही दी के उन्होंने कल चांद देखा था। तो नबी-ए-पाक (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने लोगों को इफ़्तार करने का हुक्म दिया और दूसरे दिन ईद के लिए निकलने का हुक्म दिया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि दूसरे दिन लोग ईद को नहीं निकलेंगे।

(45)-मुसरात (दूध रोके हुए जानवर) की बैअ का बयान

(37337) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि जिस आदमी ने मुसरात (वो जानवर जिसका मालिक इसका दूध दोहना इस नियत से बंद कर दे के इसके थनों में दूध भरा हुआ देख कर मशतरी ज़्यादह समन देगा) को ख़रीदा। इसको इस बैअ में इख़्तियार है अगर चाहे तो इस मुसरात को वापस करदे और इसके साथ एक साअ खजूरों का भी वापस कर दे।

(37338) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैय्ला, एक सहाबी (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) रसूलुल्लाह (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) से रिवायत करते हैं के आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: जौ शख़्स मुसरात को ख़रीदे तो उसको दो चीज़ों का इख़्तियार है अगर इसको वापस करना चाहता है तो इसके साथ एक साअ खजूर का या एक साअ गन्दम का वापस करेगा।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल इसके बर ख़िलाफ़ ज़िक्र किया गया है।

(46)-दो चीज़ों को मिलाकर नबैय्ज़ बनाने के हुक्म का बयान

(37339) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने खजूर और किश्मिश की इकठ्ठी नबैय्ज़ बनाने से मना फ़रमाया। और इसी तरह कच्ची और पक्की खजूर की इकठ्ठी नबैय्द से मना फ़रमाया।

(37340) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने खजूर और किश्मिश को इकठ्ठा करने से और कच्ची खजूर और किश्मिश को इकठ्ठा (नबैय्ज़) करने से मना फ़रमाया। और ये बात आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने अहले जुरश के नाम लिखी थी।

(37341) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: खज़ूर और किश्मिश को इकठ्ठा नबैय्ज़ ना करो और कच्ची पक्की खज़ूर को इकठ्ठा नबैय्ज़ ना करो। और इनमें से हर एक को अलैय्दह अलैय्दह नबैय्ज़ कर लो।

(37342) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने कच्ची, पक्की किश्मिश, खजूर (के इकठ्ठे नबैय्ज़) से मना फ़रमाया। और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है।

(47)-हलाला करने वाले के निकाह का बयान

(37343) हज़रत अब्दुल्लाह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है इस पर लाअनत फ़रमाई।

(37344) हज़रत क़बैय्सा बिन जाबिर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) का इर्शाद है। कोई हलाला करने वाला या वो शख़्स जिसके लिए हलाला किया गया है अगर मेरे पास लाया गया तो मैं उसको संगसार कर दूंगा।

(37345) हज़रत इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ﷻ ने हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया गया है इस पर लाअनत फ़रमाई है।

(37346) हज़रत अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: अल्लाह ﷻ हलाला करने वाले पर और उस पर जिसके लिए हलाला किया गया है लाअनत फ़रमाते हैं।

(37347) हज़रत इब्ने सैरैय्न (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़रमाते हैं के अल्लाह ﷻ हलाला करने वाले पर और उस पर जिसके लिए हलाला किया गया है लाअनत फ़रमाते हैं।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि जब आदमी औरत के साथ हलाला की ग़र्ज़ से शादी करे फिर आदमी को वो औरत मर्ग़ूब हो जाए तो उसको अपने पास ठहराने में कोई हर्ज नहीं है।

(48)-गिरी पड़ी चीज़ की पहचान करवाने का बयान

(37348) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) से गिरी पड़ी चीज़ के बारे में सवाल किया गया तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: एक साल तक इसकी पहचान कर वाओ। पस अगर इसका मालिक आ जाए (तो इसे दे दो) वरना इसको तुम ख़र्च कर डालो।

(37349) हज़रत सवैय्द बिन ग़फ़्ला (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) बयान फ़रमाते हैं कि मैं ज़ैद बिन सौहान (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) और सलमान बिन रबिआ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) निकले यहां तक के जब हम अज़ैय्ब मक़ाम पर पहुंचे तो मैंने एक लाठी गिरी हुई उठा ली। इन दोनों ने मुझसे कहा। इस लाठी को फेंक दो। मैंने इन्कार किया। पस जब हम मदीना पहुंचे तो उबी बिन कअब (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उनसे इसके बारे में सवाल किया। उन्होंने फ़रमाया: मैंने नबी-ए-पाक (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के ज़मानाए मुबारक में सौ दीनार गिरे हुए उठाए थे और ये बात मैंने आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के सामने बयान फ़रमाई थी तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया था। एक साल तक की इसकी पहचान (लोगों में ऐलान) करवाओ। पस मैंने इन दीनारों का एक साल तक ऐलान कर वाया लेकिन मैंने इन दीनारों को पहचानने वाले कोई ना पाया तो मैं आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: इसकी एक साल तक पहचान करवाओ। फिर अगर तुम इसके मालिक के पालो तो ये इसको दे दो गर ना तुम इसकी तादाद, इसका बर्तन और इसकी रस्सी की पहचान करवाओ। फिर तुम इसके मालिक की तरह हो जाओगे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि अगर लक़्ता का मालिक आ जाए तो इसका तावान भरा जाएगा।

(49)-बुदिव्वि सलाह (आफ़त से मामून होने) से पहले फल की बैअ का बयान

(37350) हज़रत इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फल को बुदिव्वि सलाह से पहले फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया है (बदो सलाह का मफ़्हूम चंद अहादीस के बाद वाली हदीस में मर्फ़ूअन बयान होगा)।

(37351) हज़रत जाबिर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने बुदिव्वि सलाह से क़ब्ल फलों की बैअ करने से मना फ़रमाया।

(37352) हज़रत ज़ैद बिन जबैर (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मन्क़ूल है कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से फलों की ख़रीदारी से बाबत सवाल किया? तो उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने बुदिव्वि सलाह से क़ब्ल फलों की बैअ से मना फ़रमाया।

(37353) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ), हज़रत मुआविया (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को बयान करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फलों ऐसी बैअ से मना फ़रमाया यहां तक के वो आरिज़ (मुसिबत) से महफ़ूज़ हो जाएं।

(37354) हज़रत अबू सईद (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) बुदिव्वि सलाह से पहले फलों की बैअ को मना फ़रमाया है। लोगों ने पूछा। फलों की बुदिव्वि सलाह क्या है? इन्होंने इर्शाद फ़रमाया: फलों की आफ़ात ख़त्म हो जाएं और इसमें मैवह ख़लासी पाया जाए। (यानी आदतन आफ़ात का वक़्त गुज़र जाए और हिफ़ाज़त का वक़्त शुरु हो जाए)

(37355) हज़रत अबू अलजरी फ़रमाते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से खजूरों की बैअ के मुताल्लिक़ सवाल किया? तो इन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने खजूरों की बैअ से मना किया यहां तक के आदमी इसमें से खाए या (फ़रमाया) वो खाई जा सके। और यहां तक के वो वज़न की जा सके। मैंने पूछा। इस के वज़न किए जाने से क्या मुराद है? तो इनके पास बैठे एक आदमी ने जवाब दिया: यहां तक के वो महफ़ूज़ हो जाए।

(37356) हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने खजूर के फल को फ़रोख़्त करने से मना किया यहां तक इसकी नशो व नुमा हो जाए।

हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से पूछा गया कि इसकी नशो व नुमा क्या है? तो आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: वो सुर्ख़ या पीला हो जाए।

(37357) हज़रत अबू अमामा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने बुदिव्वि सलाह से क़ब्ल फलों की बैअ करने से मना फ़रमाया।

(37358) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) बुदिव्वि सलाह से क़ब्ल फलों की फ़रोख़्त से मना फ़रमाया है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है के इसको कच्चा बेचने में कोई हर्ज नहीं है और ये बात हदीस के ख़िलाफ़ है।

(50) बलूग़त की उम्र का बयान

(37359) हज़रत इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) बयान फ़रमाते हैं कि मुझे उहद के दिन नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में पैश किया गया। मैं उस वक़्त चौदह साल का था। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने मुझे छोटा समझा और मुझे आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में ख़न्दक़ के दिन पैश किया गया। मेरी उम्र उस वक़्त पंद्रह साल थी। रावी कहते हैं : उन्होंने फ़रमाया: यही छोटे बड़े में हद है। रावी कहते हैं के उन्होंने अपने गवर्नरों को लिखा के पंद्रह साल वाले को मक़ातलिन में शुमार करो और चौदह साल वाले को बच्चों में शुमार करो।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि लड़की पर अठ्ठारह साल या सतरह साल तक कुछ भी (लाज़िम) नहीं है।

(51)-खजूरों में तख़्मीना लगाने के हुक्म का बयान

(37360) हज़रत सईद बिन मसय्यब (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) बयान करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने हज़रत अताब बिन अस्यद (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को खजूरों का तख़्मीना लगाने की तरह अंगूरों का तख़्मीना लगाने का हुक्म दिया। पस अंगूरों की ज़कात की किश्मिश की शक्ल में और ख़र्मा की ज़कात खजूरों की शक्ल में अदा की जाएगी। खजूरों और अंगूरों के बारे में ये नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की सुन्नत है।

(37361) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने अब्दुल्लाह बिन रवाहा (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) को अहले यमन की तरफ़ भेजा तो उन्होंने इन पर खजूरों में तख़्मीना लगाना मुक़र्रर किया।

(37362) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मसऊद (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) बयान करते हैं के सहल बिन अबी हस्मा (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) हमारी मज्लिस में आए और उन्होंने ये हदीस बयान की कि आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: जब तुम तख़्मीना लगाओ तो (कुछ) लेलो और (कुछ) छोड़ दो।

(37363) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) फ़रमाते हैं के इब्ने रवाहा (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ने ख़ैबर की खजूरों का तख़्मीना चालीस हज़ार दसक़ लगाया। और इन को ये गुमान था कि जब इब्ने रवाहा (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ने यहूदीयों को इख़्तियार दिया तो उन्होंने खजूरें ले लीं और इन पर बीस हज़ार दसक़ थे।

(37364) हज़रत बुशैर बिन यसार बयान करते हैं कि हज़रत उमर (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ), अबू हस्मा (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) को खजूरों का तख़्मीना लगाने के लिए भेजते थे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वो तख़्मीना लगाने की राए नहीं रखते थे।

(52)-वालिद का अपनी औलाद के माल में से अपनी ज़ात पर ख़र्च करने का बयान

(37365) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) से रिवायत करती हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: आदमी सबसे ज़्यादा पाकीज़ह जो खाता है वो अपनी कमाई (का माल) है और आदमी की औलाद भी इसकी कमाई है।

(37366) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) रिवायत करती हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: तुम जो कुछ खाते हो इसमें से पाकीज़ा माल तुम्हारी कमाई वाला माल है और तुम्हारी औलादें भी तुम्हारी कमाई हैं।

(37367) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़रमाते हैं कि एक अन्सारी, नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह

(صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ)! मेरे बाप ने मेरा माल ग़सब किया है? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तू और तेरा माल तेरे बाप का है।

(37368) हज़रत मुहम्मद बिन मन्कदर रिवायत करते हैं कि एक आदमी आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुआ और इसने अर्ज़ किया: या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ)! मेरे पास भी माल है और मेरे वालिद के पास भी माल है। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तू और तेरा माल तेरे बाप का है।

(37369) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) फ़रमाती हैं कि आदमी अपनी औलाद के माल में से जितना चाहे खा सकता है और औलाद अपने वालिद के माल में से इसकी इजाज़त के बग़ैर नहीं खा सकती।

(37370) हज़रत उम्रो बिन शुऐब अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक आदमी आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया। मेरा वालिद मेरे माल का मुहताज है? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तू और तेरा माल तेरे बाप का है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि बाप अगर मुहताज हो तो औलाद के माले में से ले सकता है और ख़ुद पर ख़र्च कर सकता है वरना नहीं।

(53) ऊंटों के पैशाब पीने का बयान

(37371) हज़रत अनस बिन मालिक (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) बयान फ़रमाते हैं कि उरैय्ना से कुछ लोग मदीना में हाज़िरर हुए। तो उन्हें मदीना की आबो हवा मवाफ़िक़ ना आई। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इन्हें फ़रमाया: अगर तुम सदक़ा के ऊंटों की तरफ़ निकलना और इनका दूध और पेशाब पीना चाहते हो तो ऐसा कर लो।

(37372) हज़रत अनस (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि उकल से आठ अफ़राद नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुए और उन्होंने आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) से इस्लाम पर बैअत की। इन्हें मदीना की ज़मीन मुवाफ़िक़ ना आई और इनके जिस्म बीमार हो गए तो उन्होंने नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) को इस बात

की शिकायत की तो आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रामाया: क्या तुम हमारे चर्वाहे के साथ इसके ऊंटों में नहीं चले जाते नाके मैं उंटों के पेशाब और दूध पीयो? इन्होंने कहा: क्यों नहीं! पस वो लोग चले गए और उन्होंने ऊंटों के दूध और पैशाब को पीया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वो ऊंटों के पेशाब को मकरूह जानते थे।

(54)-मदीना के मुहतरम होने का बयान

(37373) हज़रत आमिर बिन सअद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: बेशक मैं मदीना के दोनों संगरेज़ों के दर्मियान को हराम क़रार देता हूं इस बात से कि इसका दरख़्त काटा जाए या इसके शिकार को क़त्ल किया जाए और आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया मदीना लोगों के लिए बेहतर है अगर लोग इस बात को जानते।

(37374) हज़रत इब्राहीम तमैय्मी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, कि मुर्तज़ा (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ने हमें ख़ुत्बा दिया फ़रमाया: जो कोई गुमान करता है कि हमारे पास कोई चीज़ है जिसको हम पढ़ते हैं सिवाए किताबुल्लाह के और इस सहीफ़ा के। इस सहीफ़ा में ऊंट के दांत थे और ज़ख़्मों के बारे में कुछ अहकाम थे। (तो इसका गुमान ग़लत है) रावी कहते हैं कि इसमें ये बात भी थी कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: मदीना मक़ाम ऐर से मक़ाम सौर तक हरम है।

(37375) हज़रत सह्ल बिन हुनैय्फ़ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने मदीना की तरफ़ इशारह किया और फ़रमाया: ये मामून हरम है।

(37376) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इसके, यानी मदीना के, दोनों संगरेज़ों को हरम क़रार दिया है। हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) फ़रमाते हैं कि गर मैं (यहां पर) हिरन ठहरा पाऊं तो मैं इसको भी ख़ौफ़ ज़दह नहीं करूंगा।

(37377) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) बयान फ़रमाते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: अल्लाह ﷻ ने मेरी ज़बान से मदीना के दोनों संगरेज़ों के दर्मियान को हरम बना दिया है।

(37378) हज़रत शर हबैय्ल अबू सअद बयान फ़रमाते हैं कि वो अस्फ़ाफ़ में दाख़िल हुए (वहां पर) उन्होंने एक परिंदह शिकार किया। (इस दौरान) इनके पास ज़ैद बिन साबित (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) तशरीफ़ लाए। वो परिंदह अबू सअद के पास था। हज़रत ज़ैद (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने अबू सअद के कान मसला और फ़रमाया। तेरी मां ना हो! इसका रास्ता छोड़ दे। क्या तुझे मालूम नहीं है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने मदीना के दोनों सन्गरेज़ों के माबैय्न को हराम क़रार दिया है।

(37379) हज़रत अब्दुर्रहमान अपने वालिद अबू सईद (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को फ़रमाते हुए सुना के मैं मदीना के दोनों सन्गरेज़ों के दर्मियान को हरम क़रार देता हूं जैसा के इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने मक्का को हरम क़रारर दिया था। रावी कहते हैं के अबू सईद (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) अगर हम में से किसी के हाथ परिंदह पकड़ा हुआ देखते तो इसको इसके हाथ से रोक लेते फिर परिंदह को छुड़वा देते।

(37380) हज़रत आसिम अह्वल (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़रमाते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से पूछा: क्या नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने मदीना को हरम क़रार दिया था? उन्होंने फ़रमाया: हां! ये हरम है इसको अल्लाह ﷻ और इसके रसूल (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने क़ाबिले अह्तराम ठहराया है। इसका घास (भी) नहीं काटा जाएगा। जो शख़्स ऐसा करे (घास काटे) तो इस पर अल्लाह ﷻ की, फ़रिश्तों की तमाम लोगों की लानत है।

(37381) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ख़बर देते हैं कि उन्होंने नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को कहते सुना। ऐ अल्लाह ﷻ मैं मदीना की हरम क़रार देता हूं जैसा के आपने मक्का को हरम क़रार दिया है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इस आदमी पर कुछ भी नहीं है।

(55)-कुत्ते के समन का बयान

(37382) हज़रत अबू मसऊद (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने ज़ानिया औरत के महर से और कुत्ते के समन से मना फ़रमाया है।

(87383) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने ज़ानिया के महर से और कुत्ते के समन से मना फ़रमाया है।

(37384) हज़रत मुहम्मद बिन सैरैय्न (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़रमाते हैं कि ख़बीस तरीन कमाई कुत्ते का समन और बान्सरी बजाने वाले की कमाई है।

(37385) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने कुत्ते और बिल्ली के समन से मना फ़रमाया।

(37386) हज़रत औन बिन अबी हजैय्फ़ा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने कुत्ते के समन से मना फ़रमाया।

(37387) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ), नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) से रिवायत कहते हैं कि आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: कुत्ते का समन, ज़ानिया का महर और शराब की क़ीमत हराम है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया जाता है कि आपने कुत्ते के समन में रुख़्सत दी है।

(56)-चोरी में हाथ काटने के निसाब का बयान

(37388) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक ढाल (की चोरी में) जिसकी क़ीमत तीन दिर्हम थी, हाथ काटा था।

(37389) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: चौथाई दीनार या इससे ज़्यादा में हाथ काटा जाएगा।

(37390) हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने पांच दिर्हम (की चोरी में) हाथ काटा था।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि दस दिर्हम से कम में हाथ नहीं काटा जाएगा।

(57)-बर्तन में हाथ दाख़िल करने से क़ब्ल धोने का बयान

(37391) हज़रत अबू हुरैरा (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है के नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जब तुम में से कोई रात को उठे तो वो अपने हाथ को तीन मर्तबा धोने से क़ब्ल बर्तन में ना डाले। क्योकि मालूम नहीं के इसके हाथ ने रात कहां गुज़ारी है।

(37392) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जब तुम में से कोई अपने नींद से उठे तो इसको चाहिए के अपने हाथ पर बर्तन में से तीन मर्तबा पानी उन्डेल दे। क्योकि इसको मालूम नहीं के इसके हाथ ने रात कहां गुज़ारी है।

(37393) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) का इर्शाद है कि जब तुम में से कोई एक रात को उठे तो अपने हाथ बर्तन में ना डाले यहां तक के इसको धोले।

(37394) हज़रत इब्राहीम (अलैहिसलाम) से मन्क़ूल है कि कोई आदमी अपनी नींद से बैदार हो तो वो अपने हाथ बर्तन में दाख़िल ना करेगा यहां तक के इसको धोले।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है।

(58)-कुत्ते के मुहं मारने का बयान

(37395) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: तुम में से किसी के बर्तन की पाकी का तरीक़ा, जबकि इस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे, ये है के इस बर्तन को सात मर्तबा धोए और पहली मर्तबा मिट्टी से मांझे।

(37396) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) को कहते हुए सुना: जब कुत्ता, तुम में से किसी के बर्तन में मुंह मार दे तो इसको सात मर्तबा धोना चाहिए।

(37397) हज़रत इब्ने मग़फ़ल (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म दिया और फ़रमाया जब कुत्ता बर्तन में मुंह मार दे तो इसको सात मर्तबा धोओ और इसको आठवीं मर्तबा मिट्टी से मांझ लो।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इस बर्तन को एक मर्तबा धोना ही किफ़ायत कर देगा।

(59)-ताज़ा खजूरों को छुहारों के बदले बेचने का बयान

(37398) हज़रत जैय्द अबू अयाश फ़र्माते हैं कि मैंने हज़रत सअद (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से जौ को मकइ के औज़ बनाने का पूछा तो उन्होंने इसको मकरूह समझा। और हज़रत सअद (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने फ़रमाया: नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) से ताज़ा खजूरों को छुहारों के औज़ बनाने का पूछा गया था तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया था। क्या खजूर ख़ुशक होकर कम (हल्की) हो जाती है? हमने अर्ज़ किया: जी हां! तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इससे मना फ़रमाया दिया।

(37399) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से मन्क़ूल है कि वो खजूरों को छुहारों का औज़ बनाने को मकरूह समझते थे और फ़र्माते कि खजूरें पैमाना में या क़फ़ीर में कम आती हैं।

(37400) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने अंगूरों को किश्मिश के बदले में माप करने से मना फ़र्मा दिया।

(37401) हज़रत सईद बिन मसय्यब (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मन्क़ूल है कि वो खजूरों को छुहारों के बदले बराबर बराबर लेने को मकरूह समझते थे और फ़र्माते थे के खजूर फूली हुई जबकि छुहारे सुकड़े होते हैं।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है।

(60)-ख़रीदारी को रास्ते में (यानी शहर में दाख़िल होने से क़ब्ल) करने का बयान

(37402) हज़रत अब्दुल्लाह बिन (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने ख़रीदारी को पहले ही करने से (शहर में दाख़िला से पहले) मना फ़रमाया।

(37403) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया। तुम इस्तक़बाल ना करो और ना ही तुम क़स्में खाओ।

(37404) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने तल्क़ी (शहर से बाहरी ख़रीदारी करने) से मना फ़रमाया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है।

(61)-हालते इहराम में मरने वाले के सर को ढांपने का बयान

(37405) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के साथ हालते इहराम में था। इसकी ऊंटनी ने इसको ज़मीन पर पटख़ दिया तो वो मर गया। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: इसको पानी और बैरी से ग़ुस्ल दो और इसको इनहीं दो कपड़ों में कफ़न दे दो और इसके सर नहीं को ढांपो क्योकि अल्लाह ﷻ इसको बरोज़े क़ियामत तल्बिया कहते हुए उठाऐंगे।

(37406) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) से रिवायत करते हैं के एक आदमी अपने ऊंट से गिर कर मर गया तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: तुम इसको पानी और बैरी के साथ ग़ुस्ल दो और इसको इसके (इन्ही) दो कपड़ों में कफ़्ना दो और इसके सर को नहीं ढांपो। क्योकि अल्लाह ﷻ इसको बरौज़े क़ियामत तल्बिया कहने की हालत में उठाऐंगे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इसका सर ढांप दिया जाएगा।

(62)-झांकने वाले की आंख फोड़ने का बयान

हज़रत सहल बिन सअद (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि एक आदमी ने नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के हुजरो में से किसी हुजरे में झांका आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास कंघी थी जिससे आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) अपना सर खुजा रहे थे तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: अगर मुझे इल्म होता के तू देख रहा है तो ये मैं तेरी आंख में दे मारता। इजाज़त तल्ब करने का ताल्लुक़ देखने ही से तो है।

(37408) हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) अपने घर में थे कि एक आदमी ने दरवाज़े की सुराख़ों में झांका। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इसकी तरफ़ कंघी के साथ (मारने के लिए) निशाना बनाया तो वो पीछे हट गया।

(37409) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया के अगर कोई आदमी किसी क़ौम को इनकी इजाज़त के बग़ैर झांके तो इनके लिए इस आदमी की आंख फोड़ना हलाल है।

(37410) हज़रत हुज़ैय्ल (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: अगर कोई आदमी लोगों के घर में रोशनदान से झांके और इसकी तरफ़ गुठली फेंकी जाए। इसकी आंख फूट जाए तो ये ज़ख़्म राएगा होगा।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ज़मान दिया जाएगा।

(63)-कुत्ते को पालने का बयान

(37411) हज़रत सालिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जो शख़्स शिकारी कुत्ते के सिवा कुत्ता पाले गोया जानवर को देख भाल वाले कुत्ते के सिवा पाले तो इसके अज्र में से रोज़ाना दो क़ौरात कमी वाक़्ये होगी।

(37412) हज़रत अब्दुल्लाह बिन दीनार फ़र्माते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) के हमराह बनी मुआविया की तरफ़ गया। तो हम पर कुत्तों ने भोंकना शुरू किया। इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) का इर्शाद है। जिसने शिकारी कुत्ते के सिवा या जानवरों की देखभाल वाले कुत्ते के सिवा कुत्ता पाला तो इस आदमी के सवाब में से रोज़ाना दो क़ैरात की कमी हो जाएगी।

(37413) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) से रिवायत करते हैं कि जिसने भी कुत्ता रखा खेती शिकार और जानवर के लिए ज़रूरी नहीं था तो उसके अज्र में से रोज़ाना एक क़ैरात कमी हो जाएगी।

(37414) नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जिस शख़्स ने कुत्ता पाला ना तो इसे खेती में इस्तेमाल किया और ना जानवरों की हिफ़ाज़त में तो इसके अमल से हर

रोज़ एक क़ैरात कम हो जाता है। रावी से पूछा गया: क्या आप (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने ख़ुद रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) से ये फ़र्मान सुना है। इन्होंने फ़रमाया: हां। इस मसजिद के रब की क़सम।

(37415) हज़रत अब्दुल्लाह फ़र्माते हैं जिसने खेती या जानवरों की हिफ़ाज़त के इलावह कुत्ता पाला तो हर रोज़ इसके अमल से एक क़ैरात कम हो जाता है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि उसको इख़्तियार करने में कोई हर्ज़ नहीं |

(64) ज़कात में निसाब से फ़ाज़िल मिक़्दार के हुक्म का बयान

(37416) हज़रत हक्म से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने हज़रत मुआज़ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को यमन भेजा और इन्हें हुक्म दिया के वो (ज़कात की वसूली) हर तैइस गायों पर एक मोअन्नस या मुज़क्किर तबीआ (एक साला बच्चा) को ले। और हर चालीस गायों पर एक दो साला गाए का बच्चा ले। लोगों ने आप (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से इन दोनों के दर्मियान के बाबत सवाल किया तो उन्होंने नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) से पूंछने तक कुछ भी लेने से इन्कार फ़रमाया: आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तुम (दो नसाबों के माबैय्न पर) कुछ ना वसूल करो।

(37417) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मन्क़ूल है के फ़ाज़िल मिक़्दार में कुछ लाज़िम नहीं है।

(37418) हज़रत शअबा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) बयान करते हैं कि मैंने हक्म से पूछा: मैंने कहा: अगर पचास गाए हों तो? हक्म (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) ने जवाब दिया: इसमें भी दो साला बच्चा ही है।

(37419) हज़रत अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़र्माते हैं कि फ़ाज़िल मिक़्दार में कुछ लाज़िम नहीं।

(37420) हज़रत मुआज़ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़र्माते हैं कि दो निसाबों के माबैय्न मिक़दार पर कुछ लाज़िम नहीं है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ज़्यादती के हिसाब से इसमे ज़कात है।

(65)क्या मुसाफ़िर पर क़ुर्बानी लाज़िम है?

(37432) हज़रत आसिम बिन कलैय्ब (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हम जिहाद में होते थे और हम पर सहाबाए-ए-किराम (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) में से ही कोई अमीर होता था। पस हम फ़ारस में थे और हम क़बीला मज़ीना से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाबी रसूल (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) अमीर थे। हमारे पास दो साला गाए के बच्चे (क़ुर्बानी के लिए) महन्गे हो गए यहां तक के हम दो या तीन के जज़्आ (एक साला या एक साला गाए) के बदले में एक मुसिन (दो साला बच्चा) ख़रीदते थे। तो ये सहाबी (सहाबी रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ)) खड़े हुए और फ़रमाया: ये दिन हम पर भी आया था कि हमें दो साला बच्चे महन्गे मिल रहे थे यहां तक के हम (भी) दो या तीन जज़्आ देकर मुसिन ख़रीदते थे तो नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) हमारे दर्मियान खड़े हुए और फ़रमाया के मुसिन्न जानवर इस जगह पूरा है जहां मस्ना पूरा है।

(37422) मज़ीना के क़बीले के एक साहब रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने हालते सफ़र में क़ुर्बानी की।

(37423) हज़रत हसन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) से मन्क़ूल है कि वो इस बार में कोई हर्ज नहीं समझते थे कि आदमी सफ़र करते वक़्त अपने घर वालों को अपनी तरफ़ से क़ुर्बानी की वसीयत करे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि मुसाफ़िर पर क़ुर्बानी लाज़िम नहीं है।

(66) -औरत ने उमरा के लिए तल्बिया कह दिया और फिर इसको हैय्ज़ आ जाए

(37424) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) से रिवायत है के हम नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के हमराह ज़िल्हज्ज के चांद पर हज्जतुल विदा में निकले। नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तुम में से जो कोई उमरा के लिए तल्बिया कहना चाहता हो तो वो तल्बिया कह ले। क्योकि अगर मैं हदी का जानवर साथ ना लाया होता तो मैं भी उमरे के लिए तल्बिया कहता। हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) फ़र्माती हैं कि क़ौम में से कुछ ने उमरे कि लिए तल्बिया कहा और बाज़ ने हज के लिए तल्बिया कहा। फ़र्माती

हैं मैं उमरा का तल्बिया कहने वालों में थी। फ़र्माती हैं कि हम चले यहां तक के मक्का आ पहुंचे। मुझ पर यौमे अर्फ़ा इस हालत में आया के मैं हाइज़ा थी। और अपने उमरे से भी हलाल नहीं हुई थी। मैंने इस बात की शिकायत नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) से की। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: अपने उमरे को छोड़ दो और अपना सर खोल लो और कंघी कर लो और हज के लिए तल्बिया कह लो। हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) फ़र्माती हैं कि मैंने ये काम किया पस जब अय्यामे तशरीक़ के बाद वाली रात आई तो अल्लाह ﷻ ने हमारा हज मुकम्मल फ़र्मा दिया था। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने मेरे साथ अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) को भेजा। उन्होंने मुझे अपने हमराह लिया और मुझे तन्ईम की तरफ़ लेकर निकल गए। फिर मैंने उमरा के लिए तल्बिया कहा। पस अल्लाह ﷻ ने हमारा हज और उमरह पूरा फ़रमाया। इसमें हदी, सदक़ा और रोज़ा (कुछ भी) नहीं था।

(37425) हज़रत इब्ने अबी नजीह (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ), मुजाहिद (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) और अताअ (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के बारे में रिवायत बयान करते हैं के मैंने इन दोनों से इस औरत के बारे में पूछा जो मक्का मे उमरह के लिए आए और हाइज़ा हो जाए। और इसको हज के फ़ौत होने का अन्देशा हो? तो इन दोनों ने फ़रमाया: ये औरत हज का तल्बाया कह लेगी और इसको पूरा करेगी।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि और हज को छोड़ देगी और इस पर दम वाजिब होगा और उमरह की जगह उमरह अदा करना होगा।

(67) -मर्दों के लिए तस्बीह कहने का बयान

(37426) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) का इर्शाद है। मर्दों के लिए तस्बीह कहना है और औरतों के लिए ताली बजाना है (यानी इमाम के भूलने पर याद दहानी के लिए)

(37427) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक दिन लोगों को नमाज़ पढाई। पस जब आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) तक्बीर कहने के लिए खड़े हुए तो फ़रमाया: अगर शैतान मुझे नमाज़ में से कुछ भुला दे तो मर्दों के लिए तस्बीह और औरतों के लिए ताली बजाना है।

(37428) हज़रत सहल बिन सअद (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) का इर्शाद है कि मर्दों के लिए तस्बीह कहना और औरतों के लिए ताली बजाना है।

(37429) हज़रत जाबिर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से मन्क़ूल है कि नमाज़ में मर्दों के लिए तस्बीह कहना है और औरतों के लिए ताली बजाना है।

(37430) हज़रत यज़ीद फ़र्माते हैं कि मैंने अब्दुर्रहमान बिन अबी लैय्ला (رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِ) से (घर में दाख़िले की) इजाज़त तलब की और नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने ग़ुलाम को तस्बीह कही। पस इसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला।

(37431) हज़रत हसन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِ) फ़र्माते हैं कि एक आदमी ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से (दाख़िले की) इजाज़त तलब की। तो उन्होंने तस्बीह पढ़ी। वो आदमी अन्दर आकर बैठ गया यहां तक के वो नमाज़ से फ़ारिग़ हो गये।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वो फ़रमाया करते थे। कि नमाज़ी ऐसा नहीं करेगा। और वो इसको मकरूह ख़याल करते थे।

(68) -नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को गाली देने वाले को क़त्ल करने का बयान

(37432) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِ) फ़र्माते हैं कि मुसल्मानों में एक अंधा आदमी था और वो एक यहूदी के घर में रिहाइश पज़ीर था वो औरत इसको खिलाती पिलाती थी और इसके साथ अच्छा रवय्या रखती थी। लेकिन ये औरत इस मुसल्मान को नबी करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की ज़ात के बारे में मुसल्सल अज़्यत देती थी। पस जब इस नाबीना मुसलमान ने इस औरत के मुंह से एक रात को ये बातें सुनीं। तो वो खड़ा हुआ और इसका गला घोंट दिया यहां तक के ये औरत मर गई। ये मामला नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में उठाया गया। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इस औरत के मामले में लोगों से सवाल किया तो वो नाबीना मुसल्मान खड़े हुए और बताया के ये इन्हें नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के बारे में अज़्यत देती थी और आप को सब व शतम करती थी। उन्होंने इस औरत को इस लिए क़त्ल किया। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इस औरत के ख़ून को राएगा ठहराया।

(37433) हज़रत इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) के बारे में मन्क़ूल है कि उन्होंने नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को गाली देने वाले एक राहिब पर तल्वार सोंती और फ़रमाया: हमने तुम्हारे साथ अपने नबी (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को गालियां देने पर सुलाह नहीं की।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इसको क़त्ल नहीं किया जाएगा।

(69) -प्याला को टूटना और इसके ज़मान का बयान

(37434) बनी सवाअह के एक साहब बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) से कहा। मुझे नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के अख़लाक़ के मुताल्लिक़ ख़बर दिजिए ? हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) ने फ़रमाया: क्या तुमने क़ुरआन नहीं पढ़ा ? (وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ) । फ़रमाया कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) अपने सहाबा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) के हमराह तशरीफ़ फ़र्माते थे। मैंने आप के लिए खाना बनाया और हज़रत हफ़्सा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने भी आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के लिए खाना बनाया। हज़रत हफ़्सा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने मुझसे पहल कर ली। फ़र्माती हैं कि मैंने लोन्डी से कहा। जाओ और हफ़्सा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) का प्याला पलट दो। फ़र्माती हैं कि हज़रत हफ़्सा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने लोन्डी को इशारह किया कि प्याला आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के सामने रख दो। पस उन्होंने प्याले को उलट दिया। प्याला टूट गया और खाना बिखर गया। फ़र्माती हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने प्याले को जमा किया और जो कुछ इसमें से ज़मीन पर गिरा था उसको भी जमा किया फिर सबने खाया। फिर मेरा प्याला गया तो आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने वो प्याला हफ़्सा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) की तरफ़ भेज दिया और फ़रमाया: अपने बर्तन की जगह ये बर्तन ले लो। और जो इसमें है इसको खालो। आइशा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़र्माती हैं। मैंने इस वाक़्या (की वजह से) आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के चहरे में कुछ नहीं देखा।

(37435) हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की अज़्वाज मुहतरात में से किसी ने आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के लिए एक प्याला सरैय्द का बतौर हद्या के भेजा। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) (इस वक़्त) अपनी किसी (दूसरी) ज़ौजा के घर में थे। तो इन ज़ौजा साहिबा ने प्याले को मारा वो गिरा और टूट गया। नबी-ए-करीम

(صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने सरैय्द को पकड़ कर प्याला में अपने हाथ से जमा करना शुरू किया और फ़रमाया: खाओ! तुम्हारी मां ग़ारत हो। फिर आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इन्तज़ार फ़रमाया यहां तक के सहीह प्याला आया तो आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने वो लिया और टूटे प्याला की मालिकन को अता फ़र्मा दिया।

(37436) हज़रत शरीह (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं जो कोई लकड़ी तोड़ दे तो वो टूटी हुई लकड़ी तोड़ने वाले की होगी और इसके ज़िम्मे इसका मिस्ल लाज़िम होगा।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल इसके बर ख़िलाफ़ ज़िक्र किया गया है कि और कहा है कि इस पर इसकी क़ीमत होगी।

(70) -दरख़्तों पर लगी हुई हद्या शुदा खजूरों के हुक्म के बयान में

(37437) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने अराया (दरख़्तों पर लगी हुई खजूरों के हद्या को कटी हुई खजूरों से बदलना) में रुख़्सत दी है।

(37438) हज़रत सहल बिल अबी हस्मा और राफ़अ अबी ख़दीज फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने महाक़ला और मज़ाब्ना से मना फ़रमाया है लेकिन अराया वालों को रुख़्सत दी थी। (महाक़्ला: कटी हुई खेती को लगी हुई खेती का औज़ बनाना) (मज़ाब्ना: कटे हुए फल को लगे हुए फल का औज़ बनाना)।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ये दुरुस्त नहीं है।

(71) -इसलाम लाने के बाद चार बीवियों को इख़्तियार करना और इन पर इक़्तसार करने का बयान

(37439) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं के ग़ैय्लान बिन सलमा इसलाम लाए तो इनके पास आठ औरतें थीं। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इनको हुक्म दिया के इनमें से चार का चुनाव कर लो।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि पहली चार औरतें निकाह में रहेंगी।

(72) -ख़रीदार का ख़रीदारी में वलाअ की शर्त लगाने का बयान

(37440) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) बयान फ़र्माती हैं कि बरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) के मालिकों ने इनको बेचने का और वलाअ (आज़ाद शुदह ग़ुलाम के मरने के बाद इसका तर्का) की शर्त लगाने का इरादह किया। तो मैंने ये बात नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) से ज़िक्र की। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तुम इसको ख़रीद लो और इसको आज़ाद कर दो। क्योकि वलाअ इसी को मिलता है जो आज़ाद करे।

(37441) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि (बरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) के आक़ाओं ने वलाअ की शर्त लगाई तो फ़ैसला ये हुआ के वलाअ आज़ाद करने वाले के लिए होता है।

(37442) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) ने बरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) को ख़रीदने का इरादह किया तो मालिकों ने कहा: क्या तुम इसको इस शर्त पर ख़रीदती हो कि इसका वलाअ हमारे लिए होगा ? हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) ने ये बात नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) से ज़िक्र की। नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया! ये शर्त तुझे बरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) की ख़रीदारी से ना रोके। क्योकि वलाअ तो उसी को मिलता है जो आज़ाद करता है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ये शर्त फ़ासिद है और जाइज़ नहीं है।

(73) -तमय्युम में एक और दो ज़र्बों का बयान

(37443) हज़रत अमार (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवयात है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: तमय्युम में एक ज़र्ब होती है चहरे के लिए और हथैलियों के लिए।

(37444) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने पैशाब फ़रमाया: फिर आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने अपना हाथ मुबारक ज़मीन पर मारा और इससे अपने चहरे और हाथों का मसह फ़रमाया।

(37445) हज़रत इब्ने अब्ज़ी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने हज़रत अम्मार (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से कहा: क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम फ़लां फ़लां मक़ाम पर थे और हम जुन्बी हो गए थे। हमने पानी नहीं पाया तो हम मिट्टी में लोट पोट हो गए फिर जब हम नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में

हाज़िर हुए। हमने ये बात आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के सामने ज़िक्र की तो आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तुम दोनों को यही काफ़ी था। (ये कह कर) रावी अअमश ने अपने दोनों हाथों को एक मर्तबा (मिट्टी में) मारा फिर इन दोनों को फूंका फिर इनके ज़रिए से अपने चहरे और हथैलियों को मसह फ़रमाया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि दो ज़र्ब काफ़ी नहीं होती।

(74) -ख़रीदारी में वकालत का बयान

(37446) हज़रत अर्वह बारक़ी (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इन्हें एक दीनार दिया ताके वो इसके बदले एक बकरी ख़रीदें। इन्होंने इसके ज़रिए से दो बकरियां ख़रीदीं फिर इनमें से एक बकरी एक दीनार की फ़रोख़्त कर दी और नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास एक बकरी और एक दीनार लाए तो आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इनको इनकी ख़रीदारी में बर्कत की दुआ दी। फिर ये सहाबी (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) अगर मिट्टी भी ख़रीदते तो इसमें भी नफ़ा कमाते।

(37447) हज़रत हकीम बिन हज़ाम (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक दीनार के बदले में क़ुर्बानी ख़रीदने के लिए भेजा। इन्होंने क़ुर्बानी (का जानवर) ख़रीदा और फिर इसको दो दीनार में बेच दिया फिर आप (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ने एक दीनार में बकरी ख़रीद ली और आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास एक दीनार (भी) लेकर हाज़िर हुए तो आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इनको बर्कत की दुआ दी और इन्हें दीनार सदक़ा करने का हुक्म फ़रमाया।

और अबू हनीफ़ा ((رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि जब मुअक्किल के हुक्म के बग़ैर वकील बैअ करे तो ज़ामिन होगा।

(75) -नमाज़ में एतमिनान और अर्कान में आहिस्ता अदाइगी का बयान

(37448) हज़रत अबू मसऊद (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: वो नमाज़ किफ़ायत नहीं करती जिसके रुकूअ, सुजूद में आदमी अपनी पुश्त (मुकम्मल) सीधी ना करे।

(37449) हज़रत अली बिन यह्या बिन ख़लाद अपने वालिद से, अपने चचा से जो के बद्री थे, रिवायत बयान करते हैं कि हम नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के साथ बैठे हुए थे कि एक आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए दाख़िल हुआ। पस इसने हल्की सी (यानी तेज़ तेज़) नमाज़ पढ़ी। ना रुकूअ पूरा किया और ना सज्दा। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) इसको देख रहे थे और इसको पता ना था। पस इसने (यूंही) नमाज़ पढ़ी और हाज़िर हुआ, नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) को सलाम किया, आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने जवाब दिया और फ़रमाया (नमाज़ का) अआदह करो क्योकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। इस आदमी ने तीन मर्तबा ये काम किया। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) हर मर्तबा फ़र्माते (नमाज़ का) अआदह करो, क्योकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी।

(37450) हज़रत मसूर बिन मख़र्मा (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) के बारे में मंक़ूल है कि इन्होंने एक आदमी को देखा जो अपना रुकूअ, सज्दह पूरा नहीं कर रहा था। तो इन्होंने इसको देखा। दोबारह पढ़ो! इस आदमी ने इंकार किया। तो इन्होंने इसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक इसने अआदह नहीं किया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इसको ये नमाज़ किफ़ायत कर जाएगी लेकिन इसने बुरा किया।

(76) -जो शख़्स किसी की ज़मीन मे काश्तकारी करे इसका बयान

(37451) हज़रत राफ़अ बिन ख़तीज (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) इस बात को मर्फ़ूअन बयान करते हैं कि जो आदमी किसी की ज़मीन में बग़ैर इजाज़त के काश्तकारी करे तो इस आदमी को इसका ख़र्चा लौटाया जाएगा और इसको खेती में से कुछ नहीं मिलेगा।

(37452) हज़रत अबू जअफ़र ख़त्मी फ़र्माते हैं कि मेरे चचा ने मुझे और अपने एक ग़ुलाम को सईद बिन मसय्यब (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) की तरफ़ भेजा कि आप मज़ारअत के बारे में क्या

कहते हैं? तो इन्होंने फ़रमाया: इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) इसमें कोई हर्ज नहीं देखते थे। यहां तक कि उन्हें मज़ारअत के बारे में ये हदीस बयान की गई कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) बनी हारसा के पास तशरीफ़ ले गए तो आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने ज़हीर की ज़मीन में खेती देखी। लोगों ने बताया के ये खेती ज़हीर की नहीं है। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: क्या ये ज़मीन ज़हीर की नहीं है? लोगों ने कहा: क्यों नहीं (इसी की है) लेकिन इसमें फ़लां ने ज़राअत की है। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: इस फ़लां को इसका ख़र्चा वापस करदो और अपनी खेती लेलो। हज़रत राफ़अ ? फ़र्माते हैं के हमने अपनी खेती लेली और इस पर इसका ख़र्चा लौटा दिया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वो अपनी खेती को उखेड़ ले।

(77) -जानवर रात के वक़्त जो नुक़्सान करें इसका बयान

(37453) हज़रत सईद और हिराम बिन सअद (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि हज़रत बराअ बिन आज़ब (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) की ऊंटनी एक बाग़ में चली गई और इन लोगों का नुक़्सान कर दिया तो नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने ये फ़ैसला फ़रमाया कि माल वालों पर हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी दिन के वक़्त है और जानवर वालों पर रात के वक़्त जानवर के लिए हुए नुक़्सान की अदाएगी लाज़िम है।

(37454) हज़रत बराअ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि आले बरआ की एक ऊंटनी ने कुछ नुक़्सान कर दिया तो आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़ैसला फ़रमाया के माल वालों पर माल की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी दिन के वक़्त है और जानवर वाले इस नुक़्सान के ज़ामिन होंगे जो इनके जानवर रात को करें।

(37455) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के बारे में मन्क़ूल है कि एक बकरी ने आटा खा लिया। और दूसरा कहता है कि सूत खा लिया, तो शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) ने इसको राएगां ठहराया और ये आयत पढ़ी: إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

और इब्ने अबी ख़ालिद की हदीस में कहा है के नफ़्श (चर्ना) तो रात को होता है।

(37456) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के बारे में मन्क़ूल है के एक बकरी, जोलाहे पर दाख़िल हुई और सूत को ख़राब कर दिया तो शअबी (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने दिन के वक़्त होने वाले नुक़्सान का कोई ज़मान नहीं बनाया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ये ज़ामिन होगा।

(78) -अक़ीक़ा का बयान

(37457) हज़रत उम्मेकर्ज़ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) , नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) से रिवायत करती हैं कि आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: बच्चे की जानिब से दो बकरियां और बच्ची की जानब से एक बकरी है। ये जानवर मोअन्नस हों या मुज़क्कर। ये तुम्हें नुक़्सान दह नहीं होंगे।

(37458) हज़रत उम्मेकर्ज़ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) , नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) से रिवायत करती हैं के आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: बच्चे की तरफ़ से दो बकरियां और बच्ची की जानब से एक।

(37459) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने हज़रत हसन (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) और हज़रत हुसैय्न (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) की तरफ़ से अक़ीक़ा फ़रमाया।

(37460) हज़रत समरह (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) , नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) से रिवायत करते हैं कि आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: बच्चा अक़ीक़ा के औज़ गिर्वी होता है। बच्चे की विलादत के सातवें दिन बच्चे की तरफ़ से ज़िबह किया जाए और इसका सर हलक़ किया जाए और इसका नाम रखा जाए।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि अगर बच्चे की तरफ़ से अक़ीक़ा ना किया जाए तो भी इस पर कुछ नहीं है।

(79) -पड़ोसी की दीवार पर शहतीर रखने का बयान

(37461) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत करते हैं के नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: तुम में से कोई भी अपने भाई को अपनी दीवार पर लकड़ी रखने से मना ना करे। फिर हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने फ़रमाया: मुझे क्या हुआ

है के मैं तुम्हें इससे अअराज़ करने वाला पाता हूं? बख़ुदा मैं ये हदीस तुम्हारे दर्मियान बयान करता रहूंगा।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि पड़ोसी को ये (लकड़ी रखने का) हक़ नहीं है।

(80) -पत्थरों और पानी को इस्तन्जा में इकठ्ठा करने का बयान

(37462) हज़रत ख़ज़ैय्मा बिन साबित (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इस्तन्जा के बारे में फ़रमाया: तीन पत्थर हों इनमें गोबर ना हो।

(37463) अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) हज़रत सलमान (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) के बारे में फ़र्माते हैं कि इन्हें बाज़ मुशरिकीन ने इस्तहज़ा करते हुए कहा कि तुम्हारा साथी (नबी) तुम्हें इस्तन्जा तक सिखाता है? तो हज़रत सलमान (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने फ़रमाया: हां! आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने हमें ये हुक्म दिया कि हम क़िब्ला की रुख़ ना करें और हम अपने दाहने हाथों से इस्तन्जा ना करें और हम तीन पत्थरों से कम पर इक्तफ़ा ना करें और इन तीन में कोई गोबर और हड्डी ना हो।

(37464) हज़रत अब्दुल्लाह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) अपनी हाजत के लिए निकले तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: मेरे लिए तीन पत्थर तलाश करो। मैं आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास दो पत्थर और एक गोबर लाया। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने पत्थर ले लिए और गोबर को फेंक दिया और इर्शाद फ़रमाया: ये नजिस है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र ये ज़िक्र किया गया है कि अगर तीन पत्थरों के इस्तेमाल के बाद दर्हम के बक़दर नजासत रह गई हो तो इसको पानी इस्तेमाल किए बग़ैर किफ़ायत नहीं करेगी।

(81) -निकाह से पहले दो तलाक़ देने का बयान

(37465) हज़रत उमरो बिन शुऐब अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: तलाक़ नहीं होती मगर निकाह के बाद और आज़ादी नहीं होती मगर मिल्कियत के बाद।

(37466) हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) फ़र्माती हैं कि तलाक़ नहीं होती मगर निकाह के बाद।

(37467) हज़रत ताऊस (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: तलाक़ नहीं होती मगर निकाह के बाद।

(37468) हज़रत अली (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं। तलाक़ नहीं होती मगर निकाह के बाद।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि अगर किसी औरत को तलाक़ देने की क़सम खाई फिर इस औरत से शादी कर ली तो औरत को तलाक़ हो जाएगी।

(82) -एक गवाह और क़सम की बुनियाद पर फ़ैसला करने का बयान

(37469) हज़रत जाअफ़र बिन मुहम्मद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक गवाह और क़सम की बुनियाद पर फ़ैसला फ़रमाया। रावी कहते हैं: और अली मुर्तज़ा (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ने (भी) तुम्हारे सामने इसी पर फ़ैसला फ़रमाया।

(37470) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक गवाह और क़सम की बुनियाद पर फ़ैसला फ़रमाया।

(37471) हज़रत सवार, हज़रत रबीआ के बारे में फ़र्माते हैं कि मैंने उनसे एक गवाह और क़सम के बारे में पूछा? तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत सअद (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) के ख़त में ये चीज़ मौजूद थी।

(37472) हज़रत अबुज़्ज़नाद बयान करते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्दुल हमीद को ख़त लिखा के गवाह के साथ क़सम की बुनियाद पर फ़ैसला करे। अबुज़्ज़नाद कहते हैं कि मुझे इनके शैवख़ या अकाबिर में से किसी शैख़ ने ये ख़बर दी के हज़रत शरीह (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) ने इसी पर फ़ैसला फ़रमाया।

(37473) हज़रत हुसैन फ़र्माते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अत्बा ने मुझ पर (मेरे ख़िलाफ़) एक गवाह और एक क़सम की बुनियाद पर फ़ैसला किया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ये जाइज़ नहीं है।

(83) -बवक़्त फ़रोख़्त ग़ुलाम के माल का बयान

(37474) हज़रत सालिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जिसने कोई ग़ुलाम बेचा और इस ग़ुलाम के पास माल है। तो ये माल फ़रोख़्त कुनन्दा होगा। इल्ला ये के मश्तरी के लिए इसकी शर्त लगाई गई हो।

(37475) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जो कोई ग़ुलाम बेचे और ग़ुलाम के पास माल हो तो ये ग़ुलाम का माल फ़रोख़्त कुनन्दा का होगा इल्ला ये के इस माल को ख़रीदार के लिए शर्त ठहराया गया हो।

(37476) हज़रत अली (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि जो कोई ग़ुलाम बेचे और इस ग़ुलाम का कोई माल हो तो ये माल बाअ का होगा। हां अगर ख़रीदार के लिए इस माल की शर्त लगाई गई हो (तो फिर ख़रीदार का होगा) रसूलुल्लाह (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने यही फ़ैसला फ़रमाया।

(37477) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जो कोई ग़ुलाम को फ़रोख़्त करे और इस ग़ुलाम का कोई माल हो तो ये माल इसके आक़ा का होगा। हां अगर ये माल ख़रीदार के लिए शर्त ठहराया गया हो (तो ख़रीदार का होगा)

(37478) हज़रत अताअ और इब्ने अबी मलीका रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जो कोई ग़ुलाम फ़रोख़्त करे तो इस (ग़ुलाम) का माल फ़रोख़्त कुनन्दा का होगा। इल्ला ये के मश्तरी (ख़रीदार) इसकी शर्त लगा ले। (मस्लन) कहे। मैं तुमसे ये ग़ुलाम और इसका माल ख़रीदता हूं।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि अगर ग़ुलाम का माल समन से ज़्यादह हो तो फिर जाइज़ नहीं है।

(84) -ख़यार शर्त का बयान

(37479) हज़रत अक़्बा बिन आमिर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) का इर्शाद है कि ग़ुलाम का उह्दह (वापसी का इख़्तियार) तीन दिन है।

(37480) हज़रत हसन फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: चार दिन से ज़्यादह उह्दह (वापसी का इख़्तियार) नहीं है।

(37481) हज़रत मुहम्मद बिन यह्या बिन हबान फ़र्माते हैं कि इब्ने ज़ुबैर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने ग़ुलाम (की वापसी) का उह्दह तीन दिन बयान फ़रमाया क्योकि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने हज़रत मन्क़ज़ बिन उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से फ़रमाया था (जब तुम ख़रीदारी करो तो) कहो। कोई धोखा नहीं है। जब तुम कुछ फ़रोख़्त करोगे तो तुम्हें तीन दिन का इख़्तियार होगा।

(37482) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) रिवायत करते हैं कि मैंने अबान बिन उस्मान और हशाम बिन इस्माइल को ग़ुलाम के बारे में उह्दह की तालीम देते सुना के बुख़ार और पेट (के मर्ज़) में तीन दिन का इख़्तियार है और जनून, कोढ़ह में एक साल का इख़्तियार है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि जब आक़दिन जुदा हो जाएं तो फिर इन्हें बग़ैर ऐब के बैअ को रद्द करने का इख़्तियार नहीं है।

(85) -(हज वाले) क़ुर्बानी के जानवर पर सवार होने का बयान

37483) हज़रत जाबिर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: हदी (हज की क़ुर्बानी) पर सवारी करो मारूफ़ (अच्छे अंदाज़) के साथ यहां तक के तुम कोई सवारी पालो।

(37484) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने एक आदमी को ऊंट हांकते हुए देखा तो आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: इस पर सवार हो जाओ। इस आदमी ने अर्ज़ किया। ये बदना (हज की क़ुर्बानी) है। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: इस पर सवार हो जाओ अगरचे ये बदना है।

(37485) हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने एक आदमी को ऊंट हांकते हुए देखा तो फ़रमाया: इस पर सवार हो जाओ। इस आदमी ने अर्ज़ किया के ये बदना (हज का जानवर) है। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया (फिर भी) इस पर सवार हो जाओ।

(37486) हज़रत अकरमा फ़र्माते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से सवाल किया: क्या बदना (हज के जानवर) पर सवारी की जा सकती है? आप (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने फ़रमाया: बोझल किए बग़ैर (सवारी की जा सकती है) साइल ने पूछा: इसका दूध दूहा जा सकता है? आप (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने फ़रमाया: हल्का फुल्का।

(37487) हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) के बारे में रिवायत है कि इन्होंने फ़रमाया: इस पर सवार हो जाओ। मुख़ातिब ने कहा। ये बदना है? इन्होंने फ़रमाया (फिर भी) इसपर सवार हो जाओ।

(37488) हज़रत अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ)से रिवायत है कि आदमी अपने बदना पर मारूफ़ के साथ सवारी कर सकता है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि बदना पर सवारी नहीं की जा सकती हां अगर बदना के मालिक को शदीद मशक़्क़त लाहक़ हो तो फिर सवारी की जा सकती है।

(86) -हदी (हज की क़ुरबानी) में से खाने का बयान

(37489) हज़रत सनान बिन सल्मा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इन को कोलफ़ी हदी के बारे में फ़रमाया था के इसको नहीं खाया जाएगा। अगर इसको खा लिया तो तावान देना होगा।

(37490) हज़रत उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़र्माते हैं कि जो शख़्स नफ़ली हदी को चलाए फिर वो हदी हलाक हो जाए (हरम तक ना जा सके) तो इसको हरम से पहले ही नहर कर दे और इसमें से ना खाए अगर इसमें से खा लिया तो इस पर बदल है।

(37491) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-पाक (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने एक आदमी के हमराह दस अदद बदना को भेजा और इनके बारे में आप

(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इसको हक्म बताया वो आदमी चला गया। फिर आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास वापस आया और इसने कहा। अगर इनमें से कोई जानवर बिगड़ जाए तो? आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: इसको नहर कर देना और फिर इसके पाऊं को इसके ख़ून में डुबो देना फिर इसको चमड़े पर मार दो तुम और तुम्हारे रफ़्क़ाअ में से कोई भी इसमें से ना खाए।

(37492) हज़रत नाजया ख़ज़ाई (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ)! जो बदना बिगड़ जाए तो हम इसके साथ क्या करें? आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) इर्शाद फ़रमाया: इसको नहर कर दो। और इसके पाऊं को इसके ख़ून में डुबो दो। और ये जानवर लोगों के लिए छोड़ दो ताके लोग इसको खालें।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इस जानवर से रक़ाअ के घर वाले खा सकते हैं।

(87) -मसरूक़ का सारिक़ को हदया करने का बयान

(37493) हज़रत मुजाहिद फ़र्माते हैं कि सफ़्वान बिन अम्या तल्क़ाअ में से थे। ये रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अपनी सवारी को बैठाया और अपनी चादर को इस पर रख दिया। फिर क़ज़ाए हाजत के लिए एक तरफ़ हो गए। पस एक आदमी आया और इनकी चादर चोरी कर ली। इन्होंने इसको पकड़ लिया और इसको नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास ले आए। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इस आदमी के हाथ को काटने का हुक्म इर्शाद फ़रमाया: सफ़्वान ने अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ)! एक चादर (की चोरी) में आप इसका हाथ काट रहे हैं? मैं ये चादर इसको हद्या करता हूं। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: इसको मेरे पास लाने से पहले क्यों ना इसको हद्या कर दिया।

(37494) हज़रत ताऊस (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) फ़र्माते हैं कि सफ़्वान बिन उम्या को कहा गया जबकि वो मक्का के ऊंचे इलाक़े में था के जो हिजरत ना करे इसका दीन नहीं है। इसने कहा: बाख़ुदा मैं अपने घर वालों के पास नहीं पहुंचुंगा यहां तक के मैं मदीना आऊं। पस वो मदीना में आए और हज़रत अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) पास उतरे और मसजिद में लेटे और इनकी

चादर इनके सर के नीचे थी। एक चोर आया और इसने इनके सर के नीचे से चादर चुरा ली। सफ़्वान इसको लेकर नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया। ये चोर है। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इसके बारे में हुक्म दिया तो इसका हाथ काटा गया। सफ़्वान ने कहा। ये चादर इसके लिए हद्या है। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: इसको मेरे पास लाने से पहले क्यों ना इस तरह (हद्या) कर दिया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि जब मालिक चोर को मसरूक़ा सामान हद्या करे तो चोर से हद साक़त हो जाती है।

(88) -सवारी पर वित्र की नमाज़ पढ़ने का बयान

(37495) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) के बारे में रिवायत है कि उन्होंने अपनी सवारी पर नमाज़ पढ़ी और इस पर वित्र अदा फ़र्माए और इर्शाद फ़रमाया कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने भी ये अमल किया था।

(37496) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) के बारे में रिवायत है कि उन्होंने वित्र पढ़े और फ़रमाया वित्र सवारी पर (हो सकते) हैं।

(37497) हज़रत सौर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत अली (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) अपनी सवारी पर नमाज़ वित्र अदा कर लेते थे।

(37498) हज़रत अश्अत फ़र्माते हैं कि हज़रत हसन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) इस बात में कोई हर्ज नहीं देखते थे कि आदमी अपनी सवारी पर ही वित्र पढ़ ले।

(37499) हज़रत उमर बिन नाफ़अ बयान करते हैं कि इनके वालिद ऊंट पर वित्र पढ़ लेते थे।

(37500) हज़रत मूसा बिन अक़्बा रिवायत करते हैं कि मैं हज़रत सालिम के साथ था। मैं इनसे रास्ते में पीछे रह गया। तो इन्होंने पूछा: तुम्हें किस चीज़ ने पीछे छोड़ दिया था? मैंने अर्ज़ किया। मैं वित्र पढ़ रहा था इन्होंने फ़रमाया: तुमने अपनी सवारी पर क्यों नहीं पढ़े?

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि सवारी पर वित्र पढ़ना आदमी को किफ़ायत नहीं करता।

(89) -बिल्ली के झूठे का बयान

(37501) हज़रत कब्शा बिन्त कअब (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا) से रिवायत है कि ये अबू क़तादह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) की औलाद में से किसी के हरम में थीं। कि उन्होंने हज़रत अबू क़तादह के वज़ू के लिए पानी बहाया। एक बिल्ली ने आकर पानी पीना शुरू किया। तो अबू क़तादह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने बिल्ली के लिए बर्तन झुका दिया। मैं देखने लग गई तो उन्होंने फ़रमाया: ऐ भतीजी! आप ताज्जुब करती हैं? रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया है। बिल्ली नजिस नहीं है। क्योकि ये तुम पर बार बार आने वालों या बार बार आने वालियों में से है।

(37502) हज़रत अकरमा फ़र्माते हैं कि अबू क़तादह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) बिल्ली के लिए बर्तन झुका देते थे और वो इसमें मुंह दाख़िल करती थी। फिर (भी) आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) इस पानी से वज़ू कर लेते थे।

(37503) हज़रत इब्ने अब्बास(رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि बिल्ली घर का मताअ(सामान) है।

(37504) हज़रत सफ़्या बिन्त दाब (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़र्माती हैं कि मैंने हुसैन बिन अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से बिल्ली के बारे में सवाल किया? तो इन्होंने फ़रमाया: वो घर वालों में से है (यानी इसमें कोई हर्ज नहीं)

(37505) हज़रत जरैरी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से रिवायत है कि बिल्ली ने अबुल अलाअ के पाक पानी में मुंह दाख़िल किया फिर इन्होंने बिल्ली के झूठे से वज़ू किया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वो बिल्ली के झूठे को मकरूह समझते थे।

(90) जुराबों पर मसाह का बयान

(37506) हज़रत मुग़ैरह बिन शोअबा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने पैशाब फ़रमाया तो वज़ू किया और जुराबों, जूतियों पर मसह फ़रमाया।

(37507) हज़रत अबू ज़बयान फ़र्माये हैं कि मैंने हज़रत अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को खड़े हुए पैशाब करते देखा फिर आप (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने वज़ू किया और अपनी नअलैन पर मसह फ़रमाया।

(37508) हज़रत ज़ैद फ़र्माते हैं कि हज़रत अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने पैशाब फ़रमाया और नअलैन पर मसह किया।

(37509) हज़रत सवैय्द बिन ग़फ़्ला से रिवायत है कि हज़रत अली मुर्तज़ा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने पैशाब किया और (फिर) नअलैन पर मसह किया।

(37510) हज़रत औस बिन औस, अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैं अपने वालिद के हमराह था, पस वो अरब के कुंवों में से एक कुंवे पर पहुंचे तो उन्होंने वज़ू किया और अपनी नअलैन पर मसह किया। मैंने इनसे इस बारे में कहा तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को जो करते देखा है मैंने इस पर ज़्यादती नहीं की।

(37511) हज़रत सईद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़रार रिवायत करते हैं हज़रत अनस बिन मालिक (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने वज़ू फ़रमाया तो आप (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने अपनी जुराबों पर मसह फ़रमाया।

(37512) हज़रत ख़लास फर्माते हैं कि मैंने हज़रत अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को देखा तो इन्होंने रहबा मक़ाम पर पैशाब किया फिर इन्होंने अपनी जुराबों और जूतों पर मसह किया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वो जुराबों और जूतियों पर मसह को मकरूह समझते थे। इल्ला के जुराबों के नीचे चमड़ा लगा हो।

(91) वित्रों के वजूब का बयान

(37513) बनू कनाना के एक साहब हज़रत मख़दजी बयान करते हैं कि शाम में एक अन्सारी थे जिन्हें सोहबत भी हासिल थी। और जिनकी कुन्नीयत अबू मुहम्मद थी। इन्होंने बयान फ़रमाया के ये वित्र वाजिब है। मख़दजी ज़िक्र करते हैं कि वो (मख़दजी) हज़रत अबादह बिन सामत (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) के पास गए और इन्हें ये बात (वजोब वित्र) बयान की तो हज़रत अबादह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने फ़रमाया: अबू मुहम्मद ने ग़लत बात कही है। मैंने नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को इर्शाद फ़र्माते सुना कि पांच नमाज़ें हैं जिनको अल्लाह ﷻ ने अपने बन्दों पर फ़र्ज़ फ़रमाया है। जो शख़्स इन्हें यूं अदा करेगा (लेकर आएगा) के इनके हुक़ूक़ में से कुछ भी ज़ाए ना किया हो तो वो इस हाल में आएगा के इसके लिए अल्लाह ﷻ के हां ये एहेद है के वो इसको जन्नत में दाख़िल करेगा। और जो शख़्स इन नमाज़ों के

हुक़ूक़ में से कुछ कमी करेगा तो वो इस हाल में आएगा के इसके लिए अल्लाह ﷻ के हां कोई अहद नहीं है। अगर अल्लाह ﷻ चाहेगा तो इसको अज़ाब देगा और अगर अल्लाह ﷻ चाहेगा तो इसको जन्नत में दाख़िल फ़र्माएगा।

(37514) हज़रत मुसलिम मोली अब्दुल क़ैस बयान फ़र्माते हैं कि एक आदमी ने इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से कहा: आपकी क्या राए है कि वित्र सुन्नत है? आप (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने फ़रमाया: सुन्नत क्या है? नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने वित्र पढ़े और मुसल्मानों ने वित्र पढ़े (बस)। साइल ने अर्ज़ किया। नहीं। क्या ये सुन्नत है? आप (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने फ़रमाया: छोड़ दो! तुम में अक़्ल है? नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने वित्र पढ़े और मुसल्मानों ने वित्र पढ़े। (बस बात ख़तम)

(37515) हज़रत अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि इन्हें कहा गया। क्या वित्र फ़र्ज़ हैं? आप (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने फ़रमाया: नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने वित्र पढ़े और मुसल्मानों ने इस पर साबित क़दमी की।

(37516) हज़रत आसिम बिन ज़मरह फ़र्माते हैं कि अली अल मुर्तज़ा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने फ़रमाया: वित्र फ़र्ज़ की नमाज़ों की तरह लाज़िम नहीं है।

(37517) हज़रत सईद बिन मसय्यब (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने वित्रों को यूंही सुन्नत ठहराया जिस तरह आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़ित्राना और क़ुर्बानी को सुन्नत ठहराया है।

(37518) हज़रत मुजाहिद बयान करते हैं कि वित्र सुन्नत है।

(37519) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के बारे में रिवायत है कि इनसे इस आदमी के बारे में सवाल किया गया जो वित्र (पढ़ना) भूल गया था। इन्होंने फ़रमाया: ये इसको नुक़्सानदह नहीं, गोया के ये फ़र्ज़ हैं?

(37520) हज़रत हसन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के बारे में रिवायत है कि वो वित्रों को फ़र्ज़ नहीं समझते थे।

(37521) हज़रत अताअ और मुहम्मद बिन अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) दोनों फ़र्माते हैं कि क़ुर्बानी और वित्र सुन्नत है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वित्र फ़र्ज़ है ।

(92) -जुमुआ के ख़ुत्बा में दो मर्तबा बैठने का बयान

(37522) हज़रत जाबिर बिन समरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के दो ख़ुत्बे थे आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) इनमें बैठते थे, क़ुरआन पढ़ते थे और लोगों को तज़्कीर करते थे।

(37523) हज़रत जाअफ़र अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) खड़े होकर ख़ुत्बा देते थे फिर आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) बैठ जाते फिर आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) खड़े होते पस आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) दो ख़ुत्बे इर्शाद फ़र्माते।

(37524) हज़रत सालेह बयान करते हैं कि मर्वान ने हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) को मदीना का ख़लीफ़ा बनाया तो आप (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) हमें जुमुआ पढ़ाते थे और दो ख़ुत्बे इर्शाद फ़र्माते थे और दो मर्तबा बैठते थे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इमाम सिर्फ़ एक मर्तबा बैठेगा।

(93) -सुबह की नमाज़ के बाद फ़ज्र की सुन्नतों की क़ज़ा करने का बयान

(37525) हज़रत क़ैय्स बिन उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक आदमी को सुबह की नमाज़ के बाद दो रक्आत पढ़ते देखा तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: क्या सुबह की नमाज़ दो मर्तबा पढ़ते हो? इस आदमी ने अर्ज़ किया। मैं फ़ज्र की नमाज़ से पहले वाली दो सुन्नतें नहीं पढ़ सका था पस मैंने इन्हें अभी पढ़ा है। तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ख़ामौश हो गए।

(37526) हज़रत अता फ़र्माते हैं कि एक आदमी ने नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के हमराह नमाज़ सुबह अदा की। पस जब आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने नमाज़ पढ़ ली तो वो साहब खड़े हुए और उन्होंने दो रक्आत अदा फ़र्माईं। नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने उन्हें पूछा: ये दो रक्आत क्या हैं? उन्होंने अर्ज़ किया: या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ)! मैं इस वक़्त (मसजिद में) आया जबके आप नमाज़ में थे। और मैंने फ़ज्र से पहले वाली दो रक्आत भी नहीं पढ़ी थीं। मैंने इस बात को नापसंद समझा के आप नमाज़ पढ़ा रहे हों और

मैं दो रक्आत पढ़ूं। पस जब आपने नमाज़ पूरी करली तो मैंने इन दो रक्अतों को अदा कर लिया। रावी कहते हैं: आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इनको हुक्म ना हुक्म दिया और ना ही इनको (इससे मना) फ़रमाया।

(37527) मस्मअ बिन साबित फ़र्माते हैं कि मैंने हज़रत अताअ को ऐसे ही करते देखा है।

(37528) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के बारे में मन्क़ूल है कि जब इनकी फ़ज्र की दो रक्आत (सुन्नत) रह जाती थीं तो वो इन्हें फ़ज्र की नमाज़ (फ़र्ज़) के बाद अदा कर लेते थे।

(37529) यह्या बिन कसीर कहते हैं कि मैंने हज़रत क़ासिम (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) को कहते हुए सुना है कि अगर मैं इन दो रक्आत ना पढ़ चुका हूं यहां तक के मैं फ़ज्र (के फ़र्ज़) पढ़ लूं तो मैं इन्हें तुलूए आफ़्ताब के बाद पढ़ लेता हूं।

(37530) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) के बारे में मन्क़ूल है के इन्होंने फ़ज्र की दो रक्आत (सुन्नत) को इशराक़ के बाद पढ़ा।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि आदमी पर इनकी (सुन्नते फ़ज्र की) क़ज़ाअ नहीं है।

(93) -क़ब्रों के दर्मियान नमाज़ पढ़ने का बयान

(37531) हज़रत हसन फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने क़ब्रों के दर्मियान नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है।

(37532) हज़रत अनस (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) बयान फ़र्माते हैं कि हज़रत उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने मुझे देखा और मैं इस वक़्त एक क़बर के पास नमाज़ पढ़ रहा था। हज़रत उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने फ़रमाया: ऐ अनस! क़बर (देखो) मैंने सर उठा कर कमर (चाँद) को देखा तो लोगों ने कहा: आप (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) क़ब्र कह रहे हैं

(37533) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं के क़ब्र की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ ना पढ़ी जाएगी।

(37534) हज़रत अलाअ अपने वालिद से और ख़ैय्समा से रिवायत करते हैं कि इन दोनों ने फ़रमाया: हमाम की दीवारों की तरफ़ (मुंह करके) नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी। और ना ही क़बरसतान के दर्मियान।

(37535) हज़रत हसन अर्नी फ़र्माते हैं के ज़मीन सारी की सारी मसजिद (सज्दहगाह) है मगर तीन जगहें: क़बरस्तान, हमाम, बैय्तुल ख़लाअ।

(37536) हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) के बारे में मन्क़ूल है कि वो क़बरस्तान में जनाज़ह की नमाज़ को (भी) मकरूह समझते थे)

(37537) हज़रत इब्राहीम (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं के सहाबा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) व ताबऐन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) क़ब्रों के दर्मियान नमाज़ पढ़ने को मकरूह समझते थे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि अगर आदमी (क़बरस्तान में) नमाज़ पढ़ ले तो ये नमाज़ इसको किफ़ायत करेगी।

(95) घोडों और ग़ुलामों की ज़कात का बयान

(37538) हज़रत हारिस, हज़रत अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से बतौर रिवायत बयान करते हैं कि मैंने तुमसे घोड़ों और ग़ुलामों की ज़कात के बारे में चश्म पौशी की है।

(37539) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) तक पहुंचाते हुए रिवायत करते हैं कि मुसलमान पर इसके ग़ुलाम और इसके घोड़े में कोई ज़कात नहीं है।

(37540) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) का इर्शाद है कि बन्दा मोमिन पर इसके ग़ुलाम और इसके घोड़े में ज़कात (वाजिब) नहीं है।

(37541) हज़रत शबैय्ल बिन औफ़ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) बयान करते हैं। इन्होंने जाहिलयत का ज़माना पाया था कि हज़रत उमर बिन ख़ताब (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने लोगों को ज़कात का हुक्म दिया तो लोगों ने अर्ज़ किया: ऐ अमीरुल मुअमिनीन! हमारे घोड़े और हमारे ग़ुलाम! आप हम पर दस दस फ़र्ज़ कर दीजिए। हज़रत उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने फ़रमाया: मैं तो तुम पर इस बारे में कुछ फ़र्ज़ नहीं करता।

(37542) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि राहे ख़ुदा में लड़ने वाले घोड़े पर कोई ज़कात नहीं है।

(37543) हज़रत सईद बिन मसय्यब (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से सवाल किया गया कि बार बर्दारी के घोड़े में ज़कात है? इन्होंने फ़रमाया: क्या घोड़े में ज़कात है?

(37544) हज़रत नाफ़अ बयान करते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) ने फ़रमाया: घोड़ों में ज़कात नहीं है।

(37545) हज़रत मक्हौल फ़र्माते हैं कि ग़ुलाम और घोड़े में सदक़तुल फ़ित्र के सिवा ज़कात नहीं है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि अगर घोडों में नर और माद्दह हों और इनसे अफ़्ज़ाइश नसल का काम लिया जाए तो फिर घोडों में ज़कात है।

(96)-इमाम को आमीन बुलन्द आवाज़ से कहने का बयान

(37546) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) मर्फ़ूअन रिवायत करते हैं कि जब पढ़ने वाला आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। पस जिसकी आमीन फ़रिश्तों से मवाफ़क़त कर जाएगी इसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा।

(37547) हज़रत अब्दुल जब्बार वाइल (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की माअयत में नमाज़ पढ़ी। पस जब आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने (ग़ैय रिल मग़्दूबि अलैय्हिम वलद दुआल्लीन) कहा तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने आमीन कहा।

(37548) हज़रत वाइल बिन हज्र (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि मैंने नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) को सुना कि आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने (वलद दुआल्लीन) पढ़ा तो कहा आमीन। इसमें आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने अपनी आवाज़ को बुलन्द किया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इमाम आमीन कहे तो आवाज़ बुलन्द नहीं करेगा और मुक़्तदी आमीन कहेंगे।

(97)-रात की नमाज़ और वित्रों के शफ़ाअ में फ़ासला का बयान

(37549) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: रात की नमाज़ दो दो (रक्आत) है और वित्र एक है और फ़ज्र से पहले दो रक्आत (सुन्नत) है।

(37550) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: रात की नमाज़ दो दो (रक्आत) है पस जब तुझे सुबह (होने(का ख़ौफ़ हो तो एक रक्अत से वित्र बना ले।

(37551) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: रात की नमाज़ दो दो (रक्अत) है पस जब तुझे सुबह (होने) का ख़ौफ़ हो तो एक रक्अत पढ़ लो और वो तुम्हारी गुज़िश्ता नमाज़ को वित्र बन देगी।

(37552) हज़रत अबू सल्मा (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) रात की नमाज़ में हर दो रक्आत पर सलाम फैरते थे।

(37553) हज़रत क़बैस्सा बिन ज़ोहेब कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था कि मेरे पास से हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) गुज़रे और फ़रमाया: फ़ासला करो! मैं इनकी कही बात ना समझ सका। पस जब मैं फ़ारिग़ हुआ तो मैंने अर्ज़ किया। मैं क्या फ़ासला करूं? इन्होंने फ़रमाया: रात की नमाज़ और दिन की नमाज़ में फ़ासला करो।

(37554) हज़रत सईद बिन जबैर से मन्क़ूल है। फ़र्माते हैं कि हर दो रक्आत में फ़ासला है।

(37555) हज़रत अकरमा से मन्क़ूल है कि हर दो रक्आत के दर्मियान सलाम है।

(37556) हज़रत सालिम फ़र्माते हैं कि रात की नमाज़ दो दो (रक्आत) है।

(37557) हज़रत मुहम्मद (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) फ़र्माते हैं कि रात की नमाज़ दो दो रक्आत और रात के आख़िर में एक रक्अत वित्र है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि अगर तू चाहे तो दो रक्आत पढ़ और अगर तू चाहे तो चार रक्आत पढ़ और अगर तू चाहे तो छह रक्आत पढ़ और इनमें फ़ासला भी ना कर।

(98) -एक रक्अत वित्र पढ़ने का बयान

(37558) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया है। वित्र एक है।

(37559) हज़रत सालिम बिन अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जब तुम सुबह के (तुलूअ होने का) ख़ौफ़ खाओ तो एक रक्अत से वित्र बना लो।

(37560) हज़रत अताअ फ़र्माते हैं के हज़रत मुआविया (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने एक वित्र पढ़ा तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) पर इस बात का इन्कार किया गया। इसके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से सवाल किया गया तो इन्होंने इर्शाद फ़रमाया: मुआविया (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने सुन्नत को पा लिया।

(37561) हज़रत मस्अब बिन सअद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि इन्होंने एक रक्अत वित्र पढ़ी तो इन्हें (इसके बारे में) कहा गया। इन्होंने फ़रमाया: मैंने इसको मुख़्तसर कर दिया है।

(37562) हज़रत जरैर बिन हाज़िम से रिवायत है कि मैंने हज़रत अताअ से पूछा: मैं एक रक्अत पढ़ लूं? इन्होंने फ़रमाया: हां अगर तुम चाहो (तो पढ़ लो)

(47563) हज़रत इब्ने सैरीन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं कि वलीद बिन अक़्बा के हां हज़रत इब्ने मसऊद (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) और हुज़ैय्फ़ा (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने रात को गुफ़्तगू की। फिर वो दोनों वहां से निकले और दोनों ने क़याम किया। जब दोनों सुबह के क़रीब पहुंचे तो उन्होंने एक एक रक्अत पढ़ी।

(37564) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है के रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: रात की नमाज़ दो दो रक्अत है। पस जब तुझे सुबह का ख़ौफ़ हो तो एक रक्अत वित्र पढ़ ले।

(37565) हज़रत लैय्स से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) एक रक्अत वित्र पढ़ते थे और एक रक्अत और दो रक्आत के दर्मियान गुफ़्तगू करते थे।

(37566) हज़रत मुहम्मद (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से रिवायत है कि आख़िर रात को एक रक्अत वित्र है।

(37567) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि इन्होंने एक रक्अत वित्र पढ़ा।

(37568) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से रिवायत है के आल सअद और आल उब्दुल्लाह वित्र की दो रक्आत पर सलाम फैरते थे और एक रक्अत के ज़रिए इसको वित्र बनाते थे।

(37569) हज़रत सईद (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) और नाफ़अ (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का बयान फ़र्माते हैं कि हमने हज़रत मुआज़ क़ारी को देखा के वो वित्र की दो रक्आत के दर्मियान सलाम फेरते थे।

(37570) हज़रत अब्ने औन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं कि हज़रत हसन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) वित्र की दो रक्आत पर सलाम फेरते थे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि एक रक्अत वित्र पढ़ना जाइज़ नहीं है।

(99) -दरिंदो को खालों पर बैठने का बयान

(37571) हज़रत अबूल मलीअ अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ) दरिंदों की खालों से मना फ़रमाया है । रावी यज़ीद कहते हैं "यानी खालों को बिछोना बनाने से"

(37572) हज़रत इब्ने सैरीन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से रिवायत करते हैं के इब्ने मसऊद (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने एक सवारी मस्तआर ली। पस वो सवारी इस हाल में आप (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) के पास लाई गई के इसपर चीतों का साएबान था। आप (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने इसको उतार दिया फिर सवार हुए।

(37573) हज़रत अली बिन हकीम से रिवायत है कि मैंने हज़रत हकीम से चीतों की खालों के बारे में सवाल किया? तो उन्होंने फ़रमाया: दरिंदों की खालों (का इस्तेमाल) मकरूह है।

(37574) हज़रत हक्म फ़र्माते हैं हज़रत उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने अह्ले शाम को ख़त लिख कर इन्हें दरिंदों की खालों पर सवार होने से मना किया।

(37575) हज़रत अबूल मलीअ फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ने दरिंदों की खालों को बिछोना बनाने से मना फ़रमाया।

(37576) हज़रत अली (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है के वो लोमड़ियों की खालों पर नमाज़ पढ़ने को मकरूह क़रार देते थे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इन खालों पर बैठने में कोई हर्ज नहीं।

(100) ख़ुत्बे को दौरान इमाम का गुफ़्तगू करने का बयान

(37577) हज़रत अताअ फ़र्माते हैं के नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ख़ुत्बा दे रहे थे कि आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने लोगों से फ़रमाया: बैठ जाओ! हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने ये बात सुनी। इस वक़्त वो दर्वाज़े पर थे। तो वो बैठ गए। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया। ऐ अब्दुल्लाह! अन्दर आ जाओ।

(37578) हज़रत क़ैस (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्मा रहे थे कि मेरे वालिद हाज़िर हुए। तो वो आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के सामने सूरज में ही खड़े हो गए आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इनके बारे में हुक्म दिया तो इन्हें साया की तरफ़ मुन्तक़िल किया गया।

(37579) हज़रत आमिर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि लोग इमाम को सलाम करते थे जबकि वो मिन्बर पर होता थे। और इमाम जवाब भी देता था।

(37580) हज़रत इब्ने सिरीन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) रिवायत करते हैं कि लोग इमाम से इजाज़त तलब करते थे दरान्हाल यके इमाम मिन्बर पर होता था। पस जब ज़्याद ख़लीफ़ा था और ये इस्तअदान कसरत से होने लगा तो ज़्याद ने कहा। जो शख़्स अपना हाथ अपने नाक पर रख ले तो ये इसको इजाज़त (के क़ाइम मक़ाम) होगा।

(37581) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि हज़रत सुलैय्क (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ग़त्फ़ानी तशरीफ़ लाए जबकि नबी-ए-पाक (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्मा रहे थे। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इनसे पूछा। तुमने नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने अर्ज़ किया। नहीं! आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया दो रक्अतें तख़्फ़ीफ़ के साथ पढ़ लो।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इमाम अपने ख़ुत्बे के दौरान किसी से गुफ़्तगू नहीं करेगा।

(101) क्या इस्तस्क़ा में नमाज़ और ख़ुत्बा है?

(37582) हज़रत हशाम बिन इस्हाक़ अब्दुल्लाह बिन कनाना अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मुझे गवर्नर में से एक गवर्नर ने हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) के पास इस्तस्क़ा से मुताल्लिक़ सवाल करने के लिए भेजा। इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने फ़रमाया: अमीर को

मुझसे सवाल करने से किस चीज़ ने रोका है? नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) तवाज़अ, मस्किनत, ख़शूअ, आजिज़ी, और तर्सल (आहिस्ता चलना) की हालत में निकले। पस आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने ईद की नमाज़ की तरह से दो रक्आत पढ़ीं और तुम्हारे इस ख़ुत्बे की तरह ख़ुत्बा इर्शाद नहीं फ़रमाया।

(37583) हज़रत अबू इस्हाक़ (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं कि हम अब्दुल्लाह बिन यज़ीद (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के हमराह इस्तस्क़ाअ के लिए निकले। उन्होंने दो रक्आत पढ़ाई और इनके पीछे हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) (भी) थे।

(37584) हज़रत मुहम्मद बिन हिलाल (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) बयान करते हैं कि वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के साथ इस्तस्क़ा में हाज़िर हुए तो उन्होंने ख़ुत्बे से क़ब्ल नमाज़ का आग़ाज़ किया। रावी कहते हैं कि उन्होंने इस्तस्क़ा किया और अपनी चादर को उलट दिया।

(37585) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) जोकि सहाबी रसूल हैं, से रिवायत है कि उन्होंने नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) को इस दिन देखा जब आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) इस्तस्क़ा के लिए निकले थे। पस आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने अपनी पुश्त लोगों की तरफ़ फैरी और क़िब्ला रुख़ होकर दुआ फ़र्माई फिर आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने अपनी चादर को उलटा किया फिर आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने दो रक्आत नमाज़ पढ़ाई और आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इन रक्आत में क़िराअत की और जहर किया।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इस्तस्क़ा की नमाज़ को जमाअत से नहीं पढ़ा जाएगी और ना ही इसमें ख़ुत्बा दिया जाएगा।

(102) ईशा के वक़्त का बयान

(37586) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जिब्राईल ने मुझे बैय्तुल्लाह के पास दो मर्तबा इमामत करवाई है। पस जब शफ़क़ ग़ाइब हो गया तो उन्होंने मुझे इशा की नमाज़ पढ़ाई। और अगले दिन उन्होंने मुझे रात के पहले सलस पर इशा की नमाज़ पढ़ाई और फ़रमाया: ये वक़्त (नमाज़) आपसे

पहले अम्बिया का वक़्त (नमाज़) है। और इन्ही दो (मुक़र्रर) औक़ात के दर्मियान (इशा का) वक़्त है।

(37587) अबू बकर बिन अबू मूसा अपने वालिद के रिवायत करते हैं कि एक साइल नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और इसने नमाज़ों के औक़ात के बारे में सवाल किया। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। फिर आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने हज़रत बिलाल (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) को हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज़े इशा के लिए ग़ुरूब शफ़क़ के वक़्त इमामत कही। फिर आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने अगले रोज़ इशा की नमाज़ तिहाई रात को अदा फ़र्माई। फिर फ़रमाया औक़ात के बारे में सवाल करने वाला कहां है? इन दो (मुक़र्ररह) औक़ात के दर्मियान (इशा का) वक़्त है।

(37588) हज़रत हुसैन बिन बशीर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैं और मुहम्मद बिन अली, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) के हां दाख़िल हुए। हमने इनसे पूछा। आप हमें बताइए कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के हमराह नमाज़ किस तरह अदा की जाती थी? आप (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने फ़रमाया। नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने हमें इशा की नमाज़ शफ़क़ के ग़ाइब होने पर पढ़ाई। फिर अगले रोज़ नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने हमें नमाज़ इशा की रात के एक तिहाई गुज़रने पर पढ़ाई।

(37589) हज़रत सफ़यह बिन्त अबी उबैय्द फ़र्माती हैं कि उमर बिन ख़ताब ने लशकरों के अमीरों की तरफ़ एक ख़त में नमाज़ के औक़ात लिखे। आप (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने फ़रमाया: इशा की नमाज़ पढ़ो, जबकि शफ़क़ ग़ाइब हो जाए पस अगर तुम्हें कोई मश्ग़ूलियत हो तो फिर तुम्हारे और तिहाई रात के दर्मियान (वक़्त) है और तुम ख़ुद को नमाज़ के हक़ में मश्ग़ूल ज़ाहिर ना करो। जो शख़्स इसके बाद सो जाए तो पस अल्लाह ﷻ इसकी आंखों को नींद ना अता करे। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने ये बात तीन मर्तबा इर्शाद फ़र्माई।

(37590) हज़रत इब्राहीम (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मन्क़ूल है। फ़र्माते हैं के इशा का वक़्त चौथाई रात तक है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इशा का वक़्त आधी रात तक है।

(103)-क़सामत का बयान

(37591) हज़रत सईद फ़र्माते हैं कि क़सामत जाहलियत में (भी) थी पस नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) इसको अन्सार के एक उस मक़्तूल के बारे में बरक़रार रखा जो यहूदीयों के कुंवें में (मक़्तूल) पाया गया था। रावी कहते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने यहूदीयों से इब्तदा की और आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इन्हें पचास क़स्मों का पाबन्द ठहराया। तो यहूद ने कहा। हम हरगिज़ क़सम नहीं खाएंगे। फिर नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने अन्सार से कहा: तुम क़सम उठाओगे? अन्सार ने कहा: हम हरगिज़ क़सम नहीं खाऐंगे। तो नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इस मक़्तूल की दिय्यत यहूद के ज़िम्मे दी। क्योकि ये इन्हीं के दर्मियान क़त्ल हुआ था।

(37592) हज़रत ज़हरी फ़र्माते हैं कि मुझे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) ने बुलाया और मुझसे क़सामत के बारे में सवाल किया। और कहा कि मेरा ख़्याल ये हो रहा है के मैं इसको रद कर दूं। एक देहाती आकर गवाही देता है और ग़ैर मौजूद आदमी गवाही देता है। मैंने अर्ज़ किया। ऐ अमीरुल मुअमिनीन! आप इसको रद नहीं कर सकते क़सामत के ज़रिए से नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़ैसला फ़रमाया और आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के बाद ख़ल्फ़ाअ ने (भी) फ़ैसला फ़रमाया।

(37593) हज़रत सह्ल बिन अबी हस्मा (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) बयान करते हैं कि इनकी क़ौम के चन्द अफ़राद ख़ैबर की तरफ़ चले। पस वहां से मुन्तशिर हो गए। और इन्होंने एक फ़र्द को मक़्तूल पाया। तो इन्होंने इन लोगों से जिनके हां मक़्तूल पाया गया था। कहा कि तुमने हमारे साथी को क़त्ल किया है। इन्होंने कहा: हमने क़त्ल नहीं किया और ना ही हमें क़ातिल का इल्म है। रावी कहते हैं। पस ये लोग अल्लाह ﷻ के नबी (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के पास हाज़िर हुए और आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने अर्ज़ किया। या नबीए अल्लाह ﷺ! हम लोग ख़बैर की तरफ़ चले तो हमने अपना एक आदमी मक़्तूल पाया। नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इन (मक़्तूल की क़ौम) से फ़रमाया: तुम क़त्ल करने वाले के ख़िलाफ़ गवाह पैश करोगे? इन्होंने अर्ज़ किया। हमारे पास गवाह नहीं है। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: फिर वो लोग तुम्हारे सामने

क़सम उठाएंगे। इन लोगों ने अर्ज़ किया। हम यहूदीयों की क़समों पर राज़ी नहीं हैं। नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इस मक़्तूल के ख़ून को ज़ाए होना होना पसन्द फ़रमाया तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने एक सद ऊंट सदक़ा के बतौर दिय्यत अदा किए।

(37594) हज़रत उमरो बिन शुऐब अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हज़रत मसऊद (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) के पौते हुज़ेसा , मुज़ेसा और फ़लां के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान ख़ैबर के इलाक़े में तलवारें सोंते हुए गए वहां हज़रत अब्दुल्लाह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) पर जारहियत हुई और वो क़त्ल हो गए। रावी कहते हैं कि उन्होंने ये बात नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के सामने ज़िक्र फ़र्माई। रावी कहते हैं: रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तुम पचास क़स्में उठाओ और इस्तहाक़ पैदा करो? उन्होंने अर्ज़ किया: या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ)! हम कैसे क़स्में उठाएं हालांके हम (वहां) हाज़िर नहीं थे। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: फिर यहूद तुम्हें सबकदोश कर दें? (यानी वो क़स्में उठा लें) उन्होंने अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ)! फिर तो यहूद हमें क़त्ल कर देंगे (यानी झूटी क़स्में खा लिया करेंगे)। रावी कहते हैं: आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने अपनी तरफ़ से इस मक़्तूल की दिय्यत अदा फ़र्माई।

(37595) हज़रत सुलैय्मान बिन यसार फ़र्माते हैं कि क़सामत बरहक़ है। नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इसके ज़रिए फ़ैसला फ़रमाया। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास अन्सार हाज़िर थे कि इनमें से एक अन्सारी (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) चले गए फिर (बाद में) बक़्या अन्सार भी आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास से चले गए। नागहां इन्होंने अपने साथी को ख़ून में लत पत देखा तो वो नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में वापस आए और अर्ज़ किया। हमें यहूदीयों ने क़त्ल किया है और इन्होंने यहूदीयों में से एक शख़्स का नाम लिया , तो नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इनसे फ़रमाया: तुम्हारे सिवा दो गवाहों ताकि मैं इस मसम्मा शख़्स को तुम्हारे हवाले कर दूं? लेकिन इनके पास गवाह नहीं था। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तुम पचास क़स्मों के ज़रिए इस्तहाक़ पैदा कर लो ताके मैं ये शख़्स तुम्हारे हवाले कर दूं? इन्होंने अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ)! हम ग़ैय्ब की बात पर क़स्म खाने को पसन्द नहीं करते। फिर

रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने यहूद से पचास क़स्में लेने का इरादह फ़रमाया तो अन्सार (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) यहूद क़स्मों की कोई परवा नहीं करते। जब हम इनसे इस (मक़्तूल पक क़स्मों) को क़बूल कर लेंगे तो ये किसी और पर दस्त दराज़ी करेंगे। पस नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इस मक़्तूल की दैत अपनी तरफ़ से अदा फ़र्माई।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ख़ून का दावा करने वालों की क़स्मों को क़बूल नहीं किया जाएगा।

(104)-फ़ज्र की नमाज़ के बाद नमाज़े तवाफ़ करने का बयान

(37596) हज़रत जबैर बिन मतअम, नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) से रिवायत करते हैं कि आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: ऐ बनी अबद मनाफ़! किसी शख़्स को भी इस घर के तवाफ़ से मना ना करो और ना ही रात, दिन की किसी घड़ी में नमाज़ पढ़ने से मना करो।

(37597) हज़रत अताअ फ़र्माते हैं कि मैंने इब्ने उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) को देखा कि उन्होंने फ़ज्र के बाद बैय्तुल्लाह का तवाफ़ किया और तुलू आफ़्ताब से क़ब्ल दो रकआत अदा फ़र्माईं।

(37598) हज़रत अता फ़र्माते हैं कि मैंने इब्ने उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) और इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) दोनों को अस्र के बाद तवाफ़ करते हुए और नमाज़ (तवाफ़) पढ़ते हुए देका।

(37599) हज़रत अबू शअबा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत हसन और हुसैन (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) को देखा के वो दोनों मक्का में तशरीफ़ लाए और दोनों ने अस्र के बाद बैय्तुल्लाह का तवाफ़ किया और नमाज़ (तवाफ़) अदा की।

(37600) हज़रत अबुल तुफ़ैय्ल (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के बारे में रिवायत है के वो अस्र के बाद तवाफ़ करते थे और नमाज़ (तवाफ़ भी) अदा करते थे यहां तक के सूरज ज़र्द हो जाए।

(37601) हज़रत अताअ (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं कि मैंने इब्ने उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) और इब्ने ज़ुबैर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) को देखा कि उन्होंने फ़ज्र से पहले बैय्तुल्लाह का तवाफ़ किया फिर तुलूअ आफ़्ताब से क़ब्ल दोनों ने नमाज़ (तवाफ़) पढ़ी।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि सूरज तुलू या गुरूब तक नमाज़ नहीं पढ़ेगा और यहां तक के नमाज़ पढ़ सके।

(105)-ज़ेवर से मज़ीन तलवार को इसी क़िस्म के ज़ेवर के औज़ ख़रीदने का बयान

(38602) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैय्द फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में ख़बैर के दिन एक हार लाया गया जिसमें सौने के साथ लटके हुए मोती थे। इस हार को एक आदमी ने सात या नौ दीनारों के औज़ ख़रीदा। पस ये हार आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के पास लाया गया और इसकी ख़रीदारी का तज़किरह भी आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के सामने किया गया तो आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: नहीं! यहां तक के दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। किसी ने अर्ज़ किया। आप का इरादह पत्थर के बारे में है? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: नहीं! यहां तक के ये दोनों जुदा जुदा हों। रावी कहते हैं उसने ये हार वापस कर दिया यहां तक कि (इन्हें) जुदा कर दिया गया।

(37603) हज़रत अनस (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि हम फ़ारस के इलाक़े में थे तो हमें हज़रत उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) का ख़त पहुंचा। ख़बरदार चांदी के हल्क़ा वाली तलवारों को दराहम के औज़ ना बैचो।

(37604) हज़रत शअबी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं कि शरीह (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से सौने के तौक के बारे में पूछा गया जिसमें नगीने भी हों? इन्होंने फ़रमाया। नगीनों को जुदा कर दिया जाएगा फिर सौने को बराबर बैच दिया जाएगा।

(37605) हज़रत मुहम्मद (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के बारे में मन्क़ूल है के वो ज़ैवर से मज़ीन तलवार को सामान के औज़ के अलावा बैचने को मकरूह समझते थे।

(37606) हज़रत ज़हरी (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के बारे में मन्क़ूल है कि वो मज़ीन तलवार को चांदी के औज़ बैचने को मकरूह समझते थे और फ़र्माते थे कि मज़ीन तलवार (सौने के ज़ैवर वाली) को सौने के औज़ नक़द ख़रीदो।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आदमी इसको दराहम के औज़ ख़रीदे।

(106)-ज़ुहर से पहले वाली चार रक्आत पढ़ने का बयान

(37607) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैय्ला रिवायत बयान करते हैं कि जब नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) की ज़ुहर से पहले वाली चार रक्आत फ़ौत हो जाती थीं तो आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) इन्हें बाद में पढ़ लेते थे।

(37608) हज़रत इब्राहीम (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के बारे में मन्क़ूल है कि जब इनसे ज़ुहर की पहली चार रक्आत फ़ौत हो जाती थीं तो वो इन्हें बाद में अदा फ़रमा लेते थे।

(37609) हज़रत उमरो बिन मौय्मून (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) बयान फ़र्माते हैं कि जिस शख़्स की ज़ुहर से पहले वाली चार रक्आत फ़ौत हो जाऐं तो उसे चाहिए के (ज़ुहर के बाद वाली) दो रक्आत के बाद इनकी क़ज़ा करे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इन चार रक्आत को नहीं पढ़ेगा और ना ही इनकी क़ज़ा करेगा।

(107) शहीद का जनाज़ह पढ़ने का बयान

(37610) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) बयान करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने उहद के शौहदाअ को एक क़ब्र में दो दो को जमा फ़रमाया था और आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने उनको उनके ख़ून समैत दफ़न करने का हुक्म इर्शाद फ़रमाया और आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इन पर जनाज़ह नहीं पढ़ाया। और ना ही उनको ग़ुस्ल दिया गया।

(37611) हज़रत अनस (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि जब उहद का दिन था तो आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) हज़रत हमज़ा के पास से गुज़रे और इनके नाक को काट दिया गया था और इनको मसला बना दिया गया था। आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: अगर ये बात ना होती के (इनको) सफ़्या पालेगी तो मैं इनको (यूंही) छोड़े देता यहां तक के अल्लाह ﷻ इनको दरिंदों और परिंदों के पेटों से जमा फ़र्माते। और आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने शोहदा में से किसी पर जनाज़ह नहीं पढ़ाया। और फ़रमाया: मैं आज तुम पर गवाह हूं।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि शहीद पर जनाज़ह पढ़ा जाएगा।

(108) दाढ़ी पर ख़िलाल करने का बयान

(37612) हज़रत हसान बिन बिलाल फ़र्माते हैं कि मैंने अम्मार बिन यासर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को देखा कि उन्होंने वज़ू किया और अपनी दाढ़ी में ख़िलाल किया। मैंने इनसे कहा: तो इन्होंने फ़रमाया: मैंने नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को ये करते देखा है।

(37613) हज़रत अबू वाइल बयान फ़र्माते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को देखा के उन्होंने वज़ू किया और अपनी दाढ़ी का तीन मर्तबा ख़िलाल फ़रमाया। फिर फ़रमाया: मैंने नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को ये करते हुए देखा।

(37614) हज़रत इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) के बारे में मन्क़ूल है के वो अपनी दाढ़ी का ख़िलाल किया करते थे।

(37615) हज़रत अबू हम्ज़ह से मन्क़ूल है कि मैंने इब्ने अब्बास (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को अपनी दाढ़ी का ख़िलाल करते देखा।

(37616) हज़रत अबू मअन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं कि मैंने हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को अपनी दाढ़ी का ख़िलाल करते देखा।

(37617) हज़रत इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) के बारे में मन्क़ूल है कि वो अपनी दाढ़ी का ख़िलाल किया करते थे।

(37618) हज़रत अबू ग़ालिब फ़र्माते हैं कि मैंने अबू अमामा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को देखा कि उन्होंने तीन तीन मर्तबा अपनी दाढ़ी का ख़िलाल किया। और कहा: मैंने रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को ये करते देखा है।

(37619) हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने अपनी दाढ़ी का ख़िलाल फ़रमाया।

(37620) हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) फ़र्माते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया कि मेरे पास जिब्राईल आए और इन्होंने फ़रमाया: जब आप वज़ू करें तो अपनी दाढ़ी का ख़िलाल किया करें।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वो दाढ़ी का ख़िलाल करने की राए नहीं रखते थे।

(109)-वित्रों में क़िराअत करने का बयान

(37621) हज़रत सईद बिन अब्दुर्रहमान अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) वित्रों में (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) और (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) और (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) पढ़ा करते थे।

(37622) हज़रत अबी बिन कअब (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) और (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) और (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) के साथ वित्र पढ़ा करते थे।

(37623) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) तीन सूरतों के साथ वित्र पढ़ते थे। (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) और (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) और (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) और (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) के साथ।

(37624) हज़रत इमराम बिन हुसैन (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) (सब्बि हिस्मा रब्बिकल आला) के साथ वित्र पढ़े।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वित्रों में पढ़ने के लिए को सूरत ख़ास करना मकरूह है।

(110)-जुमुआ और ईद में क़िराअत का बयान

(37625) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू राफ़अ से रिवायत है कि मर्वान ने अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) को मदीना में अमीर मुक़र्रर किया और ख़ुद मक्का की तरफ़ निकल गया तो अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने हमें जुमुआ पढ़ाया। पहली रक्अत में सुरा तुल जुमुआ क़िराअत फ़र्माई और दूसरी रक्अत में (इज़ा जा अकल मुनाफ़िक़ून) ऊबैय्दुल्लाह कहते हैं। जब आप (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) नमाज़ से फ़ारिग़ हो गए तो मैं अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) के पास गया और मैंने कहा। बेशक आपने (आज) वो सूरतें क़िराअत की हैं जो हज़रत अली (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) कूफ़ा में पढ़ाया करते थे। अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) को ये दोनों सूरतें पढ़ते सुना है।

(37626) हज़रत हकीम (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ), मदीना के कुछ लोगों से, मेरे ख़याल में इनमें अबू जाअफ़र भी हैं। रिवायत करते हैं के रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) जुमुआ में सूरतुल

जुमुआ और मुनाफ़िक़ून की क़िराअत फ़र्माते थे। सूरतुल जुमुआ के ज़रिए आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) मुअमिनीन को बशारत देते और उभारते थे और सूरतुल मुनाफ़िक़ीन के ज़रिए से आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) मुनाफ़िक़ीन को मायूस करते और डांटते थे।

(37627) हज़रत नअमान बिन बशीर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ईदीन और जुमुए की नमाज़ में (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) और (हल अताका हदीसुल ग़ाशियह) की क़िराअत किया करते थे और जब दो ईदें (जुमा और ईद) एक दिन में जमा हो जाती थीं तो भी आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) दोनों में ये दोनों सूरतें क़िराअत फ़र्माते।

(37628) हज़रत नोमान बिन बशीर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ), नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) से ऐसी ही एक रिवायत नक़ल करते हैं।

(37629) हज़रत समरह (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) वायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) जुमुआ की नमाज़ में (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) और (हल अताका हदीसुल ग़ाशियह) की क़िराअत फ़र्माते थे।

(37630) हज़रत उबैय्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतैय्बा बयान करते हैं कि हज़रत उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ईद के रोज़ बाहर निकले तो अबू वाक़द लैय्शी ने पूछा: नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) इस दिन क्या चीज़ क़िराअत करते थे? आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया। क़ और अक़्तर्बत। ق اور اقتربت

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है के? जुमाआ और ईदैय्न के लिए सूरत का ताय्युन मकरूह है।

(111)-कपड़े में मज़ी और अहतलाम के असर का बयान

(37631) हज़रत सहल बिन हनीफ़ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि मुझे मज़ी की वजह से बड़ी तक्लीफ़ थी और मैं इसकी वजह से बकसरत ग़ुस्ल करता था। मैंने ये बात रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के सामने ज़िक्र की तो आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: तुम्हें मज़ी से वज़ू ही किफ़ायत कर देगा। हज़रत सहल फ़र्माते हैं। मैंने अर्ज़ किया: या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ)! जो मेरे कपड़ों को लग गई है उसका क्या हुक्म है? आप

(صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: एक चुल्लु पानी तुझे काफ़ी है। इसको तू अपने कपड़ों के उस हिस्से पर छिड़क दे चहां तेरे गुमान के मुताबिक़ मज़ी लगी है।

(37632) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) फ़र्मातें हैं कि जब आदमी किसी कपड़े में जुन्बी हो जाए तो फिर वो इस कपड़े में असरात देखे तो इस कपड़े को धो लेना चाहिए और अगर कपड़े में असरात ना देखे तो फिर इस पर पानी (ही) छिड़क दे।

(37633) हज़रत अबू इस्हाक़ फ़र्माते हैं कि क़बीले के एक आदमी ने अबू मैसरह से कहा। मैं अपने कपड़ों में (ही) जुन्बी हुआ पस मैंने (कपड़ों को) देखा तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई? अबू मैय्सरह ने कहा। जब तुम ग़ुस्ल करो और कपड़े पहन लो इस हाल में तुम तर हो तो तुम्हारे लिए यही काफ़ी है।

(37634) हज़रत इब्राहीम (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से उस आदमी के बारे में जिस कपड़ों में अहतलाम हुआ और इसको अहतलाम की जगह मालूम ना हो। मन्क़ूल है के ये आदमी कपड़े पर पानी छिड़क लेगा।

(37635) हज़रत सालिम (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के बारे में रिवायत है कि इनसे एक आदमी ने पूछा। मुझे मेरे कपड़ों में अहतलाम हुआ है? उन्होंने फ़रमाया: कपड़ों को धो लो। साइल ने कहा। वो (अहतलाम वाला हिस्सा) मुझ पर मख़फ़ी हो गया है। हज़रत सालिम (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) ने फ़रमाया: इस पर पानी छिड़क दो।

(37636) हज़रत जैय्यद बिन सलत रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ना दिखाई देने की सूरत में छिड़काओ करते थे।

(37637) हज़रत सईद बिन मसय्यब (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मन्क़ूल है कि अगर तुम्हें (मोज़अ अहत्लाम) भूल जाए तो छिड़काओ कर लो।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इस कपड़े पर छिड़काओ नहीं करेगा। पानी (का छिड़काओ) निजासत को ज़्यादह ही करेगा (कम नहीं करेगा)

(112)-ख़ुत्बे के दौरान नमाज़ का बयान

(37638) हज़रत जाबिर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) बयान फ़र्माते हैं कि सुलैय्क गत्फानी हाज़िर हुए दौरान हाल ये के नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) जुमुआ के दिन ख़ुत्बह इर्शाद फ़र्मा रहे थे आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इनसे पूछा: तुमने नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने अर्ज़ किया। नहीं! आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: दो रक्आत पढ़ो और इनमें तख़फ़ीफ़ कर लो।

(37639) हज़रत अबी मज्लज़ से मन्क़ूल है कि जब तुम जुमुआ के दिन आओ और इमम ख़ुत्बा दे रहा हो तो अगर तुम चाहो तो दो रक्आत पढ़ लो और अगर चाहो तो बैठ जाओ।

(37640) हज़रत इब्ने औन फ़र्माते हैं कि हज़रत हसन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) तशरीफ़ लाए जबकि इमाम ख़ुत्बा दे रहा होता था तो वो दो रक्आत नमाज़ अदा करते।

(37641) हज़रत हसन फ़र्माते हैं के सुलैय्क अज़्फ़ानी (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) आए जबकि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) जुमुआ के रोज़ ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्मा रहे थे। इन्होंने दो रक्आत अदा नहीं की थी। तो आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इनको हुक्म दिया फ़रमाया के वो दो रक्आत पढ़ें और इनमें तख़फ़ीफ़ करें।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि (दौराने ख़ुत्बा) नमाज़ नहीं पढ़ेगा।

(113)-क़ाज़ी का झूटे गवाहों की बुनियाद पर फ़ैसला करने का बयान

(37642) हज़रत अम्मे सल्मा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: तुम लोग मेरी तरफ़ झगड़े लेकर आते हो और हो सकता है कि तुम में से बाज़, बाज़ से बेहतर अपनी हुज्जत बयान कर सकता हो। और मैं तो तुम्हारे द्रमियान इसी के मुताबिक़ फ़ैसला करता हूं जो मैं सुनता हूं। पस जिसके लिए मैं इसके भाई के हिस्से में से (किसी शई का) फ़ैसला करूं तो वो इसको ना ले। क्योकि (इस सूरत में) मैं इसके लिए आग का एक टुकड़ा काट रहा हूं जिसके साथ वो बरोज़े क़यामत हाज़िर होगा।

(37643) हज़रत अम्मे सल्मा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) रिवायत करती हैं कि अन्सार में से दो आदमी, नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में बाहम एक क़दीम विरासत का, जिस पर इनके पास गवाह नहीं थे। झगड़ा लेकर आए तो रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद

फ़रमाया: बेशक तुम लोग मेरे पास झगड़ा लेकर आते हो और मैं तो एक बशर हूं हो सकता है के तुम में से बाज़, बाज़ से बेहतर अपनी हुज्जत बयान करत सकता हो और मैं तुम्हारे दर्मियान फ़ैसला कर दूं पस जिस शख़्स के लिए में इसके भाई के हक़ में से किसी शई का फ़ैसला कर दूं तो वो उसे ना ले। (इस सूरत में) मैं इसके लिए आग का एक टुकड़ा काट रहा हूं जिसके साथ वो बरोज़े क़यामत हाज़िर होगा। उम्मे सल्मा (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) कहती हैं। पस दोनों आदमी रो पड़े और हर एक ने इनमें से अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ)! मेरा हक़ मेरे भाई के लिए है। तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: अगर तुम इस पर राज़ी हो जाओ और तक़्सीम कर लो और एक दूसरे का हक़ पूरा पूरा करो और हर एक अपने भाई को माफ़ करे।

(37644) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: मैं एक बशर हूं और हो सकता है के तुममें से बाज़, बाज़ से बहतर अन्दाज़ में अपनी हुज्जत बयान कर सकता हो। पस जिसको मैं इसके भाई के हक़ में फ़ैसला करके दूं तो मैं इसके लिए आग का टुकड़ा काट रहा हूं।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि अगर दो झूटे गवाह क़ाज़ी के हां किसी आदमी की बीवी को तलाक़ पर गवाही दें और क़ाज़ी इनकी शहादत की बुनियाद पर मियां बीवी के दर्मियान तफ़रीक़ कर दे तो झूटे गवाहों में से किसी एक को औरत के साथ शादी करने में कोई हर्ज नहीं है।

(114)-क्या अगर औरत मुर्तद हो जाए तो इस को क़त्ल किया जाएगा ?

(37645) हज़रत इब्ने अब्बास (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: जो अपने दीन को बदल ले तो इसको क़त्ल कर दो।

(37646) हज़रत अब्दुल्लाह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: किसी मर्दे मुस्लिम जो ये गवाही देता हो के अल्लाह ﷻ के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं (मुहम्मद (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) अल्लाह ﷻ का रसूल हूं। का ख़ून तीन चीज़ों में से किसी एक बग़ैर हलाल नहीं है। शादी शुदा ज़ानी, जान के बदले में जान और अपने दीन को छोड़ देने वाला और जमाअत से जुदाई करने वाला।

(37647) हज़रत हसन (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) से मुर्तद औरत के बारे में मन्क़ूल है कि इससे तौबा करने को कहा जाएगा अगर वो तौबा करले तो ठीक। वर्ना इसको क़त्ल कर दिया जाएगा।

(37448) हज़रत इब्राहीम (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं कि मुर्तद औरत को क़त्ल किया जाएगा।

(37649) हज़रत हम्माद (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं के मुर्तद औरत को क़त्ल किया जाएगा। और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि अगर औरत मुर्तद हो जाए तो इसको क़त्ल नहीं किया जाएगा।

(115)- चाँद ग्रहण में नमाज़ पढ़ने का बयान

(37650) हज़रत अबू बकरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के ज़मानाए मुबारक में सूरज या चांद गिर्हन हो गया तो आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया। बेशक सूरज और चांद अल्लाह ﷻ की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये लोगों में किसी की मौत पर गिर्हन नहीं होते पस अगर ऐसा हो तो तुम गिर्हन छुटने तक नमाज़ पढ़ो।

(37651) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैय्ला, फ़लां बिन फ़लां से रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: बिला शुबा सूरज का गिर्हन होना अल्लाह ﷻ की निशानियों में से एक निशानी है पस जब तुम इसको देखो तो नमाज़ की तरफ़ पनाह पकड़ो।

(37652) हज़रत आइशा (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) से रिवायत है कि ख़सूफ और कसूफ की नमाज़ चार सज्दों में छे रक्आत हैं।

(37653) हज़रत अलक़मा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) कहते हैं कि जब तुम्हें आसमान के अफ़क़ में से कुछ घबराहट हो तो तुम नमाज़ की तरफ़ पनाह पकड़ो।

(37654) हज़रत नोमान बिन बशीर (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ), कसूफ में तुम्हारी नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ते थे (इसमें) रुकूअ, सज्दह करते थे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि चाँद ग्रहण में नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी।

(116)- फ़ौत शुदह नमाज़ों की अदाएगी पर अज़ान व अक़ामत कहने का बयान

(37655) हज़रत अब्दुल्लाह (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) को ख़न्दक़ के दिन मुशरिकीन ने चार नमाज़ों से मश्ग़ूल (बजन्ग) किये रखा। रावी कहते हैं: पस आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने हज़रत बिलाल (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) को हुक्म दिया। इन्होंने अज़ान कही और अक़ामत कही और ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी फिर इन्होंने अक़ामत कही आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने अस्र की नमाज़ पढ़ी फिर इन्होंने अक़ामत कही आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने मग़रिब की नमाज़ पढ़ी फिर इन्होंने अक़ामत कही आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इशा की नमाज़ पढ़ी।

(37656) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू सईद ख़ुदरी (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हमें ख़न्दक़ के दिन ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा से रोके रखा गया (यानी मुशरिकीन ने रोक रखा) यहां तक के इस बारे में किफ़ायत कर दी गई और इस बारे में इर्शादे ख़ुदा वन्दी है। (व कफ़ल्लाहुल मुअ मिनीनल क़िताला व कानल्लाहु कवीयन अज़ीज़ा) पस रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) खड़े हुए और आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने हज़रत बिलाल (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) को हुक्म दिया तो इन्होंने अक़ामत कही पस आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने ज़ुहर अदा की जिस तरह आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) इससे पहले पढ़ा करते थे। फिर हज़रत बिलाल (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने अक़ामत कही तो आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने मग़रिब अदा की जिस तरह आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) इससे पहले मग़रिब पढ़ते थे। फिर हज़रत बिलाल (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ने इशा के लिए अक़ामत कही तो आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इशा की नमाज़ पढ़ी जिस तरह आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) इससे पहले इशा पढ़ा करते थे। और ये वाक़िआ (फ़ इन ख़िफ़्तुम फ़रि जालन, अव रुक्बाना) के उतरने से पहले का है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि जब आदमी की कई नमाज़ें फ़ौत हो जाएं तो इनमें से किसी के लिए अज़ान कही जाएगी और ना अक़ामत कही जाएगी।

(117)-गन्दुम को गन्दुम के औज़ बराबर और नक़द देने का बयान

(37657) हज़रत उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: गन्दुम, गन्दुम के औज़ सूद है हां अगर यूं और यूं हों (यानी नक़द हो) और जौ, जौ के औज़ सूद है। हां अगर यूं और यूं हो (यानी नक़द हो)

(37658) हज़रत इबादह बिन सामत (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया। जौ, जौ के औज़ बराबर नक़द दिए जाएंगे।

(37659) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: गन्दुम, गन्दुम के औज़ बराबर और नक़द (बैअ) होगी और जौ, जौ के औज़ बराबर और नक़द दिए जाएंगे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वो फ़रमाया करते थे के ग़ैर मौजूद गन्दुम के औज़ बेचने में कोई हर्ज नहीं है।

(118)-क्या उस फ़क़ीर पर सदक़ा ज़कात दुरुस्त है जो कमाई पर क़ादिर हो?

(37660) हज़रत हुब्शी बिन जनादह रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) को फ़र्माते सुना। सदक़ा ग़नी के लिये हलाल नहीं है। और ना ही ताक़तवर सेहतमन्द के लिए हलाल है।

(37661) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: सदक़ा, ग़नी के लिए हलाल नहीं है और ना ही ताक़तवर, सेहतमन्द के लिये हलाल है।

(37662) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमरो (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: सदक़ा (ज़कात) ग़नी के लिये हलाल नहीं है और ना ही ताक़तवर सेहतमन्द के लिये हलाल है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) के बारे में मन्क़ूल है के वो ऐसे शख़्स पर सदक़ा करने में रुख़सत देते हैं और फ़र्माते हैं के जाइज़ है।

(119) ख़रीदारी और शर्त लगाने की ममानअत का बयान

(37663) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इनसे फ़रमाया: मैंने तेरा ऊंट चार दीनार में ले लिया है और तेरे लिए इसकी पुश्त (सवारी करने का हक़) है मदीना तक।

(37664) हज़रत जाबिर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि मैंने इस (ऊंट) को आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) पर चंद औक़्या के औज़ बेच दिया और मैंने अपने घर तक इस जानवर की सवारी का (अपने लिए) इस्तश्नाअ कर लिया। पस जब मदीना पहुंचा तो मैं आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) के पास हाज़िर हुआ। आप (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने रक़म मुझे दे दी। और फ़रमाया। तुम मेरे बारे में क्या ख़याल करते हो कि मैं तुमसे क़ीमत इसलिए कम करवा रहा हूं कि मैं तुम्हारे ऊंट भी ले लूं और माल भी ? पस ये दोनों तुम्हारे हैं।

और लोग बयान करते हैं के अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) की इस सिल्सिले में ये राए ना थी।

(120)-जो शख़्स अपना सामान किसी मुफ़्लिस के पास पाए (तो.....)?

(37665) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया। जो शख़्स अपना सामान किसी मुफ़्लिस के पास पाए तो ये इसका ज़्यादह हक़दार है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि ये भी (दीगर) क़र्ज़ ख़ुवाहों के तरीक़े पर होगा।

(121)-मज़ारअत का बयान

(37666) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने अह्ले ख़ैबर के साथ खेती या फल में से निकले हुए के एक हिस्सा पर मामला फ़रमाया।

(37667) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) ने अह्ले ख़ैबर को एक हिस्से पर आमिल बनाया।

(37668) हज़रत उर्वह बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने फ़रमाया: अल्लाह ﷻ राफ़अ बिन ख़तैय्ज की मग़्फ़िरत फ़र्माए। इनके पास दो आदमी हाज़िर हुए जिन्होंने बाहमी क़िताल किया था तो रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया। अगर तुम्हारा ये मामला है तो तुम मज़ारअ को किराये पर (ज़मीन) मत दो।

(37669) हज़रत मूसा बिन तल्हा (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि मैंने अपने दोनों पड़ोसियों अब्दुल्लाह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) और साद (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को देखा के वो अपनी ज़मीन तिहाई और रुबाअ पर (मज़ारअत के लिए) देते थे।

(37670) हज़रत ताऊस (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) फ़र्माते हैं कि हज़रत मुआज़ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) हमारे पास तशरीफ़ लाए और हम अपनी ज़मीनों को सलस और निस्फ़ पर (मज़ारअत के लिए) देते थे। हज़रत मुआज़ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने इस पर कोई ऐब नहीं लगाया।

(37671) हज़रत अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है के निस्फ़ पर मज़ारअत करने में कोई हर्ज नहीं है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि वो इसको मकरूह समझते थे।

(122)-किसी शहरी का किसी देहाती के लिए दल्लाली करने का बयान

(37672) हज़रत जाबिर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) से रिवायत करते हैं कि आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया कि हरगिज़ कोई शहरी किसी देहाती के लिए बैअ ना करे (यानी दलाली ना करे)

(37673) हज़रत जाबिर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया। हर्गिज़ कोई शहरी किसी देहाती के लिए दलाली ना करे।

(37674) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया। हरगिज़ कोई शहरी किसी देहाती के लिए दलाली ना करे।

(37675) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया। हर्गिज़ कोई शहरी किसी देहाती के लिए दलाली ना करे।

(37676) हज़रत अनस (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि हमें इस बात से मना किया गया है कि कोई शहरी किसी देहाती के लिए दलाली करे चाहे वो इसका सगा भाई हो।

(37677) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) और इब्ने उमर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है। इनमें से एक ने फ़रमाया। (दलाली से) मना किया गया है और दूसरे ने फ़रमाया। हर्गिज़ कोई शहरी किसी देहाती के लिए दलाली ना करे।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْه) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि इन्होंने इस मस्अले में रुख़सत दी है।

(123)-आले मुहम्मद के लिए सदक़ा के हुक्म का बयान

(37678) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि रसुलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने हज़रत हसन बिन अली (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) को देखा कि इन्होंने सदक़ा की एक खजूर पकड़ी और इसको इन्होंने अपने मुंह में डाल लिया। तो नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया। कख़ कख़ (यानी बाहर निकालो) हमारे लिए सदक़ा हलाल नहीं है।

(37679) हज़रत अबू राफ़अ रिवायत करते हैं कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने बनी मख़्ज़ूम में से एक आदमी को सदक़ा (की वसूली) पर भेजा। अबू राफ़अ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ने इनके पीछे जाने का इरादह किया तो नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) से पूछा। आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे लिए सदक़ा हलाल नहीं है और बेशक लोगो का ग़ुलाम इन्हीं में से (शुमार) होता है।

(37680) हज़रत अबू लैय्ला बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के पास हाज़िर था कि आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) खड़े हुए और सदक़ा के कमरे में दाख़िल हो गए और आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) के हमराह एक बच्चा, हज़रत हसन (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) या हज़रत हुसैय्न (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) भी दाख़िल हो गया। पस इस बच्चे ने एक खजूर पकड़ ली और इसे अपने मुंह में डाल लिया। तो नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इसको बाहर निकलवा दिया और फर्माया। बिला शुबा हमारे लिए सदक़ा हलाल नहीं है।

(37681) हज़रत अबू उमैरह रशीद बिन मालिक (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) रिवायत करते हैं कि मैं एक दिन नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में हाज़िर था कि एक आदमी तबक़ लेकर

हाज़िर हुआ जिसमें खजूरें थीं। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने पूछा। ये क्या है? सदक़ा है या हदया? इस आदमी ने अर्ज़ किया (हदया नहीं है) बल्कि सदक़ा है। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने वो खजूरों का तबक़ लोगों की तरफ़ बढ़ा दिया। हज़रत हसन (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के सामने मिट्टी में लौट रहे थे तो उन्होंने एक खजूर पकड़ी और इसको अपने मुंह में डाल लिया। पस रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इनकी तरफ़ देख लिया तो आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने अपनी उंगलिए मुबारक इनके मुंह में दाख़िल की और इसको बाहर निकाल लिया फिर आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया। बिला शुबा आले मुहम्मद (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) सदक़ा नहीं खाते।

(37682) हज़रत इब्ने अबी मल्किया रिवायत करते हैं कि ख़ालिद बिन सईद बिन अल आस ने हज़रत आइशा (रज़िअल्लाह अन्हा) की तरफ़ एक गाय भेजी तो इन्होंने वापस भेज दी और फ़रमाया। हम आले मुहम्मद (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) सदक़ा नहीं खाते।

(37683) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बरैय्दह (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जब हज़रत सलमान फ़ारसी (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) मदीना में आए तो वो रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) की ख़िदमत में एक तबक़ बतौर हदया लाए और इन्होंने इस तबक़ को आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के सामने रख दिया। आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने पूछा। ये क्या है? रावी ने आगे मुकम्मल हदीस बयान की।

(37684) हज़रत अनस (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) को एक खजूर मिली तो आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया: अगर तू सदक़े की ना होती तो मैं तुझे खा लेता।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि बनी हाशिम के मवाली वग़ैरह के लिए सदक़ा हलाल है।

(124)-दौराने नमाज़ हाथ से इशारह करके सलाम का जवाब देने का बयान

(37685) हज़रत इब्ने उमर (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) मसजिद बनी उमरो बिन औफ़ में तशरीफ़ लाए और आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) ने इसमें नमाज़ पढ़ी। और आप (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَسَلَّمَ) के पास अन्सार के कुछ लोग हाज़िर हुए और

इनके साथ हज़रत सुहैय्ब (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) भी हाज़िर हुए। मैंने हज़रत सुहैय्ब (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से पूछा। जब आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को सलाम किया जाता था तो आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) क्या करते थे? इन्होंने फ़रमाया: आप (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) अपने हाथ से इशारह कर देते थे।

और अबू हनीफ़ा (रहमतुल्लाह अलैह) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि नमाज़ी(ऐसा) नहीं करेगा।

(125)-क्या पांच वसक़ से कम मिक़्दार (ग़ल्ला) में सदक़ा है?

(37686) हज़रत अबू सईद (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: पांच वसक़ से कम मिक़्दार (ग़ल्ला) में सदक़ा नहीं है।

(37687) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि इन्होंने नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) को फ़र्माते हुए सुना कि पांच वसक़ से कम खजूरों में सदक़ा नहीं है।

(37688) हज़रत अबू हुरैरह (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہٖ وَسَلَّمَ) ने इर्शाद फ़रमाया: पांच वसक़ से कम मिक़्दार (ग़ल्ला) में सदक़ा नहीं है।

और अबू हनीफ़ा (رَحْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ) का क़ौल ये ज़िक्र किया गया है कि थोड़ा, ज़्यादह जो कुछ भी निकले इसमें सदक़ा है।